खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-02) अंक-85

सोमवार 11 जून, 2018 / 21 ज्येष्ठ, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-02) में अंक 82 से अंक 85 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–02) सोमवार, 11 जून, 2018 / 21 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक–85

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचन्द्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री गुलाब सिंह
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री मनोज कुमार
43. श्री नितिन त्यागी
44. श्री एस.के. बग्गा
45. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
46. श्रीमती सरिता सिंह
47. मो. इशराक
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री जगदीश प्रधान
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–02) सोमवार, 11 जून, 2018 / 21 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक–85

सदन अपराह्न 2.12 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय का हार्दिक स्वागत।

मुझे श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय सदस्य से नियम–59 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री विजेन्द्र गुप्ता, श्री जगदीश प्रधान तथा श्री सिरसा जी ने नियम–54 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं भी दी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, इतने मुद्दे नहीं बताए जाते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, जो आज कोई नई रूलिंग नहीं है। बैठिए सिरसा जी, पहले बैठिए। पहले बैठ जाइए। शुक्रवार को मैं पहले भी इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ कि यह सत्र विशेष प्रयोजन के लिए

बुलाया गया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सदन में विस्तार से चर्चा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन ताराँकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें भी विचारार्थ लिया गया है। समय का पहले ही अभाव है और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि श्री सिरसा द्वारा जिस विषय के संबंध में काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी गई है, उसके बारे में उप मुख्य मंत्री महोदय पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अनावश्यक नोटिस देने से केवल सदन का समय खराब होता है। सदन के समय के अधिकतम सदुपयोग तथा सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय को विचारार्थ नहीं लिया जाएगा। मैं नेता विपक्ष को प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए, प्लीज। सिरसा जी, बैठिए प्लीज। पहले बैठिए। जितना समय आपको अलाट किया है, जितना समय आपने बर्बाद किया है सदन का। जितना विपक्ष ने सदन का समय अननसेसरी सब्जेक्ट पर बर्बाद किया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई नियम से चलेंगे ना। मैं शुक्रवार को व्यवस्था दे चुका हूँ कि कोई भी विषय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप भी ये भी मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं जानकारी ले लूँगा। आप बहुत लैटर लिखते हैं, उनके लिए अधिकारियों के लिए, ये भी मुझे लिखकर दे दीजिए। बहुत अधिकारियों को लैटर लिखते हैं। ये भी मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं लिखूंगा, मैं जवाब दूँगा। बैठिए नितिन जी, बैठिए प्लीज।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्न काल सूची में दिये गए तारांकित प्रश्न 14,16,19,44 और 54 पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिये जाएंगे। दिनांक 6 जून, 2018 को सूचीबद्ध जिन तीन तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा दिनांक 8 जून, 2018 को सूचीबद्ध जिन दो तारांकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें आज पुनः सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न संख्या 14 श्री भावना गौड़ जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी आप बैठेगें? मैं इसका उत्तर दिलवा दूँगा आप बैठेंगे? मैं उत्तर दिलवा दूँगा इसका। आप बैठिए, मैं उत्तर दिलवा दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए। मैं बोल रहा हूँ, उत्तर दिलवा दूँगा दोबारा। पहले मुझे सूचीबद्ध जो प्रश्न हैं, वो शुरू करने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए आप। मैं कोई... सूची नहीं है आपकी। आप बिना। आप रोज अपने मुद्दे बदलते हैं। आप के मुद्दे रोज बदलते हैं। आपके रोज मुद्दे बदल रहे हैं। अब भी मुद्दा बदल गया। आपका मुद्दा अभी बदल गया। आपके मुद्दे रोज बदलते हैं बैठिए। प्रश्न संख्या–14, सुश्री भावना गौड़।

सुश्री भावना गौडः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या नं0–14 का अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी का धन्यवाद कर रहा हूँ इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ नेता विपक्ष का पन्द्रह मिनट में उन्होंने आज सदन का समय खराब कम किया। उनको बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–14 का जो दोबारा से जवाब अधिकारियों ने देना था, ऐसा कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–14 प्रस्तुत हैः

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भूखण्डों का आबंटन किया गया था;

ख) इन आबंटनों का आबंटियों के नाम व जिन स्थानों पर ये आबंटन किए गए, सहित पूर्ण विवरण क्या है;

ग) वर्तमान में इन भूखण्डों की संख्या क्या है;

घ) क्या यह सत्य है कि इन भूखण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है;

ङ) क्या यह भी सत्य है कि इन भूखण्डों पर व्यवसायिक गतिविधि चलाई जा रही है;

च) यदि हाँ, तो क्या इन भूखण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण व व्यवसायिक गतिविधियों की इजाजत है;

छ) यदि नहीं, तो इन गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है;

ज) क्या इन भूखण्डों के मालिकाना हक स्थानांतरित किए जा सकते हैं; और

झ) यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?

माननीय अध्यक्षः मंत्री महोदय, क्या कहना है आपका इसमें?

माननीय राजस्व मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने आदेश दिये, उसके अनुसार रेवेन्यू डिपार्टमैंट के ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाकर मैने अपनी तरफ से ऑर्डर ईश्यू किया कि इसके सही जवाब दिये जाएं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड रहा है कि कोई बहुत ज्यादा सैटिस्फैक्टिरी आन्सर नहीं है।

माननीय अध्यक्षः आपने लिखित में...

माननीय राजस्व मंत्रीः मैंने लिखित में उनको ऑर्डर ईश्यू किये, डायरेक्शन दिये। बाकायदा तीन अलग–अलग डीओ ईश्यू किए गए उनको लेकिन क्या कारण है कि उनको अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि 2007 में एलजी के आदेश के बावजूद कि उन्होंने क्या स्टैप्स उठाए गए हैं, उसमें उसके कोई सैटिस्फैक्टिरी आन्सर नहीं मिले हैं अभी तक।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–16, सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मेरा सवाल जो है ये राजस्व विभाग से था और मुझे लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं, जिनको ये जवाब देना था, वो ये बात समझते हैं कि राजस्व और लैंड ये दोनों अलग अलग मामले हैं। जब लैंड के बारे में कहा जाता है कि लैंड जो है, सेंटर गवर्नमैंट का सब्जेक्ट है तो वो डीडीए से मामला है कि वो लैंड का जो ट्रांसफर है, वो जो है, वो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमैंट के पास रहा है, बावजूद इसके

डीडीए से जवाब हमेशा से इस विधान सभा में आए हैं। मगर ये मामला तो डीडीए का भी नहीं है, ये मामला तो सिर्फ राजस्व विभाग का है कि हमारे गवर्नमैंट में ग्राम पंचायत कि जो जमीन है, उसका मुआवजा करोड़ों रुपये में आईएएस अधिकारियों ने मिलीभगत करके गलत तरीके से एक वहाँ पे गैंग है, उसमें ये पैसा बाँट दिया, उसके अंदर आईएएस अधिकारी और रेवेन्यू डिपार्टमैंट के कई अधिकारी दोषी हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं, पिछले 10 सालों से ये एफआईआर दर्ज हैं, उसके बावजूद वो अधिकारी उन्हीं रेवेन्यू डिपार्टमैंट में आज भी काम कर रहे हैं और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि डिवीजनल कमिशनर मनीषा सक्सेना उन लोगों के बारे में जानती हैं। मैंने खुद पर्सनली उनको उन अधिकारियों के बारे में बताया है कि आपके ये गड़बड़ अधिकारी हैं, गलत लोगों के साथ मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके बारे में जो सवाल का जवाब नहीं आया है, सीधे तौर पे अफसरशाही एलजी साहब के संरक्षण के अंदर भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है और इसको पूरा का पूरा इस वक्त को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो समय है, ये इतिहास के अंदर बहुत बड़े समय और बहुत बड़ी बातों की तरह दर्ज होगा और इन सब अधिकारियों को मिलीभगत करने की वजह से मुझे इस चीज का पूरा यकीन है; चाहे मुझे इसके अंदर कितना भी समय व्यर्थ करना पड़े, चाहे इसके अंदर मुझे विधान सभा में न्याय माँगना पड़े, चाहे मुझे न्यायालय में न्याय माँगना पड़े, मेरी ये पर्सनल जिम्मेदारी रहेगी कि इन अफसरों को मैं इस पूरी की पूरी ये जो घोटाला चल रहा है, उसके अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन्हें सजा दिलाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–16 प्रस्तुत हैः

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1997 से 2005 के दौरान सरकार द्वारा सन्नोट खेड़ा खुर्द, होलम्बी कलां, शाहबाद दौलत पुर सहित अनेक गाँवों में भूमि का अधिग्रहण किया गया;

ख) क्या यह सत्य है कि धोखाधड़ी, चीटिंग, राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ इत्यादि आरोप लगाते हुए विभिन्न पुलिस थानों में धारा–420, 467, 468, 471, 120(बी), 447, 511, 160 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई हैं;

ग) यदि हाँ, तो इन एफआईआर्स का प्रत्येक एफआईआर में दर्ज अभियुक्त के नाम सहित विवरण क्या है;

घ) इन एफआईआर में दर्ज सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण क्या है;

ङ) इन एफआईआर में नामित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

च) क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ अधिकारी/कर्मचारी शिकायत किए जाने के बावजूद उसी जिले में पदापित हैं;

छ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

ज) इन मामलों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या है और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

झ) क्या न्यायालयों द्वारा भी इन मामलों में इन तथाकथित ऑक्युपायर्स के विरूद्ध मुआवजा राशि की वसूली के कोई आदेश जारी किए गए हैं;

ञ) यदि हाँ, तो इन आदेशों के क्रियान्वयन का विवरण क्या है और इनके क्रियान्वयन में देरी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं;

ट) विभिन्न न्यायालयों में लंबित कोर्ट केसों का कुल विवादित भूमि और विवादित राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

ठ) तीसरी पार्टियों, अन्य व्यक्तियों व तथाकथित ऑक्युपायर्स द्वारा मुआवजे पर दर्ज की गई आपत्तियों का गाँववार विवरण क्या है?

माननीय अध्यक्षः बैठिए। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर...

माननीय राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी जो प्रश्न नं. 16 और 31 हैं दोनों, दोनों का रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने जवाब देने से मना कर दिया है, फाइल पे बार बार लिखने के बावजूद जो एक बार जब क्वेश्चन स्पीकर साहब ने एडमिट कर लिया है दैन इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन से डिपार्टमैंट से है, ये पूरे इस सदन का अधिकार है, हरेक मेंबर का अधिकार है, और हरेक नागरिक का भी अधिकार है कि जवाब आना चाहिए। उसके बावजूद कोई जवाब नहीं है। डिवीजनल कमिशनर की तरफ से फिर दोबारा एक नोट आया है जिसमें उन्होंने फिर दोबारा वही चीजें दोहराइ हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते और ये ये कारण है कि रिजर्व सब्जेक्ट है। उसके बावजूद फिर दोबारा मैंने उनको ये आदेश दिए; मैं ये दो तीन पैराग्राफ हैं, मैं सदन की जानकारी के लिए मैं पढ़ना चाहूँगाः

'I have gone through the submissions made by Divisional Commissioner/Secretary (Revenue) at page No.1/N to 5/N. Attention is again invited to my directions at page No.2/N & 4/N. I am of the view that the opinion given by department of Legal Affairs, Govt. of India is not at all binding on Government of N.C.T. of Delhi and much

less the Delhi Legislative Assembly. The unreasonable stand taken by Department is not only an insult to all the elected representatives of Delhi who are Hon'ble Members of Delhi Lesiglative Assembly rather it is an insult to all citizens of Delhi as well. It is highly contemptuous for any officer of any department of Govt. of N.C.T. of Delhi to say that they will not answer the questions admitted in Delhi Legislative Assembly just because they remotely pertain to reserved subjects.

I do not agree with the explanation submitted by Secretary (Revenue). It is hereby directed that Secretary (Revenue) /Divisional Commissioner, Govt. of N.C.T. of Delhi shall be personally present during the question hour in the Assembly At 2.00 p.m. on 11/06/2018 alongwith the replies to Starred Question No.16 and Starred Question NO.31.

तो ये सदन की पूरी जानकारी के लिए कि उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–19 श्री सुरेन्द्र सिंह जी, शिक्षा विभाग।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का शिक्षा विभाग से जवाब नहीं आया है। ये जो क्वेश्चन है, ये लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई सर्विसेज या कोई ऐसा घपला, घोटाला किसी प्रकार का इस तरह की कोई वो नहीं है परन्तु इसमें साफ दिखाई देता है जिस तरह से अधिकारी तानाशाही के तहत जवाब नहीं देना चाह रहे, इस क्वेश्चन के अंदर जो है, मात्र नार्मल जो है ना, जानकारी मैंने माँगी थी। इसमें माँगा था कि स्कूलों के अंदर जो बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने हैं, वो कब

तक बन जाएंगे, स्कूलों में खाली जो रिक्त पद हैं टीचर्स के, कब तक भरे जाएंगे, प्रमोशन जो प्रधान उनके हैं, अध्यापकों के लिए हैं, कब तक किए जाएंगे, अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के लिए क्या कार्रवाई चल रही है और क्या एसएससी के माध्यम से अध्यापकों के पद भर सकते हैं? खाली ये नार्मल जानकारी है, नार्मल कोई आरटीआई में भी अगर ये जानकारी माँगता है तो उसको मिल जानी चाहिए। अगर सदन का कोई सदस्य इस प्रकार के क्वेश्चन माँग रहा है या इस तरह का क्वेश्चन किया है तो इसका जवाब आना चाहिए था। इससे साफ दिख रहा है, इसीलिए आज जो लगातार जो सदन चल रहा है जो दिल्ली की जो माँग है, पूर्ण राज्य की, वो बहुत ही जरूरी है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ऐसे ऐसे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना...

माननीय अध्यक्षः इस वक्त आप प्रश्न संख्या रख दें, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि इस विषय में हमें अवगत कराएं। प्रश्न संख्या–19 प्रस्तुत हैः

क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र कब तक जारी कर दिए जाएंगे;

ख) सरकारी स्कूलों में रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे;

ग) प्रमोशन के द्वारा प्रधान अध्यापकों के पद कब तक भर दिए जाएंगे;

घ) अतिथि अध्यापकों के नियमतिकरण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण क्या है;

ड.) क्या एसएमसी के द्वारा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान है; और

च) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 19 के 'क' भाग का तो जवाब दिया जा चुका था लेकिन 'ख' और बाकी 'च' तक का जवाब देने से आपके संज्ञान में पहले भी ला चुका हूँ; तीन बार शिक्षा सचिव को कहा गया है कि इसका जवाब विधान सभा पटल पर रखा जाए, विधान सभा पटल पर रखने के लिए मुझे दे दिया जाए। उन्होंने बार बार मेरे पास में एक बहुत ही निराधार तथ्य का सहारा लेते हुए कि ये सर्विस मैटर है और सर्विस मैटर के तहत जवाब नहीं दिया जा सकता। मैंने उनको बार बार लिखा है ये सर्विस मैटर... पहली बात तो सर्विस मैटर हो या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हों, सबके बारे में ये विधान सभा पहले भी सवाल पूछती रही है और इवन जो ट्रांसफर्ड डिपार्टमेंट्स नहीं हैं... सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि डीडीए और दिल्ली पुलिस से भी ये विधान सभा सवाल पूछती रही है और विधान सभा के सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस और डीडीए ने नोडल अधिकारियों के माध्यम से दिए हैं। इसलिए सदन में भी... पिछले सेशन में भी मैंने एक बार बताया था कि भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमैंट ने भी जब किसी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा, टूरिज्म से संबंधित तो कुछ प्रश्न भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमैंट से संबंधित थे, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। लेकिन ये कौन सी साजिश रची जा रही है डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए और इस विधान सभा को कमजोर करने के लिए या दिल्ली में कौन सा ऐसा करप्शन हो रहा है, इन सब चीजों मेंकृ. कि इन सवालों के जवाब देने के लिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और फिर सर्विस सब्जेक्ट का सहारा लिया जा रहा है। मैंने बार बार अधिकारियों को चेतावनी देते हुए भी कहा है। आज भी जब आपके आदेशानुसार पुनः उनकी तरफ से ये निवेदन आया कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते,

मैंने उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को मैंने लिखित में आदेश दिए थे कि विधान सभा में दो बजे आफिसर्स गैलरी में उपस्थित हों, अपने साथ अगर चाहें तो एक किसी और अधिकारी को भी मदद के लिए ला सकते हैं लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ, शिक्षा सचिव भी यहाँ नहीं हैं और शिक्षा विभाग से कोई और अधिकारी भी यहाँ नहीं हैं। तो निश्चित रूप से ये सदन की खुलेआम अवमानना है और वो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं; इसमें क्या गलत कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, ये सब जाँच का विषय है। यानी कि कुछ करप्शन खुलने का डर है, हो सकता है सेंट्रल लेवल पर, हो सकता है एलजी के लेवल पर कुछ ऐसी साजिशें रची जा रही हों जिनसे इन सवालों के जवाब मिलने पर, इन सवालों के जवाब सदन के पटल पर आने से उन साजिशों के खुलने का डर होगा, कहीं न कहीं कोई अधिकारी, कहीं न कहीं कोई एलजी के आफिस में बैठ के, कहीं न कहीं कोई सेंटर गवर्नमैंट में बैठ के, क्यों इनको दबाने की, इन सवालों के जवाब दबाने की कोशिश की जा रही है, मंत्री के बार बार लिखने पे और आज जब मंत्री की तरफ से लिखित आदेश गया है तो कोई भी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ये आपके संज्ञान में रहे।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 44, सुरेन्द्र जी। प्रश्न संख्या 44 प्रस्तुत कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैं बोल देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न नं. 44 है ये लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि जो है, डीएसएसबी जो है, फार्म निकालता है, उसके बाद फार्म भरवाता है। लाखों करोड़ों रुपये की फीस जमा करवा लेता है, उसके बाद जो है ना, उनके टैस्ट ले रहा है, न उनसे किसी प्रकार का तालमेल कर रहा है। एक नार्मल क्वेश्चन था अभी आप पीछे देखा होगा शिक्षा विभाग के जो टीचरों का जो पेपर

हुआ, तो वो पूरे एरिया के अंदर उन्होंने पहले बिक्री कर दिया, इस टाइप के खुलासे जो एलजी साहब के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसकी अथाह सीमा चरम पर पहुँच चुकी है, आज दिल्ली की जनता जो पूर्ण राज्य का दर्जा माँग रही है, इसीलिए माँग रही है। इन सवालों के जवाब में कोई वो नहीं है परन्तु उनका भ्रष्टाचार खुलने की बात सामने नजर आ रही है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री से इस क्वेश्चन के जवाब के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 44 प्रस्तुत है :

क्या माननीय **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

ख) क्या सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कोई आदेश या दिशा निर्देश जारी किए हैं;

ग) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

घ) ये पद कब तक भर दिए जाएंगे?

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 44 के संदर्भ में भी तथ्य वही है। मैंने शिक्षा सचिव को लिखित आदेश दिया है कि वो इसके जवाब के साथ में तीन बार वो इसको टाल चुके हैं, उसको बार बार फाईल घुमा रहे हैं। मैंने उनको लिखित आदेश दिया था, आज भी वो आफिसर्स गैलरी में लेकर आने का... यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–54 कर्नल सहरावत अनुपस्थित। दो मिनट रुक जाइये हाँ उत्तर देंगे क्या इसका, भूमि एवं भवन विभाग?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इस संदर्भ में यही अवगत कराना है कि इसके ये भी ट्रांसफर्ड सबजैक्ट में नहीं आता है और मैंने बार बार अधिकारियों को इसका लिखकर कहा था लेकिन वो बार–बार यही जवाब दे रहे हैं कि ये मेरे पास ये जवाब देने का आग्रह कर रहे थे कि विधानसभा में बता दिया जाये कि ट्रांसफर सब्जेक्ट है। मैंने यही तथ्य जो शिक्षा विभाग के संबंध में रखे हैं, वही तथ्य उन फाइलों में लिख के उन को मना किया था कि इसका जवाब दें और आज मैंने लैंड ऐण्ड बिल्डिंग सैक्रेटरी को रिटर्न में आदेश दिये थे कि इसका पूरा जवाब ले के यहाँ पर उपस्थित हों, वो उपस्थित नहीं हुए हैं।

माननीय अध्यक्षः दिनांक 8 जून 2018 को सेवा विभाग से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या–120 का उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ था यदि उक्त प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया हो तो मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उसे सदन पटल पर प्रस्तुत करें।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटरी सर्विसेज को भी इसी संबंध में लिखित आदेश दिये गये थे। वहाँ से भी इसी तरह का आग्रह बार–बार आ रहा था। और मैंने उनको भी बताया था लेकिन उन्होंने भी उसका जवाब नहीं दिया अभी तक और मैंने जब उनको आज लिखित में आदेश किए कि यहाँ पर उपस्थित रहें सदन में तो उन्होंने... उपस्थित नहीं रहे सर्विसेज डिपार्टमैंट से भी कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है।

माननीय अध्यक्षः हाँ जरनैल जी, क्या कह रहे हैं आप?

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि छः तारीख को ही राजस्व विभाग से संबंधित मैंने एक सवाल लगाया था, उस सवाल का जवाब तो आया पर जवाब में ये लिखा है कि समस्त जिलों से प्राप्त कार्य सूची संलग्न है।

माननीय अध्यक्षः से लिखित में दे दीजिए मुझे।

श्री जरनैल सिंहः मैंने दे दिया है अध्यक्ष जी, पर उसको आप शामिल कर लें अपनी इस लिस्ट में जिसमें रिप्लाइ नहीं आये; सूची संलग्न नहीं है, पर लिख दिया, 'जी, सूची संलग्न है।'

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष जी, ये मेरा सवाल था...

माननीय अध्यक्षः कौन सा स्टार अनस्टार्ड?

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अनस्टार्ड तो... उसका जवाब क्या, उसकी एकाउंटेबिल्टी नहीं है कोई। उसका जवाब नहीं आया था। मेरा 70 नंबर था, उसका भी नहीं आया अखिलेश का था, 78, 80, वो भी नहीं आया 89 श्रीदत्त शर्मा जी का था ये जवाब भी नहीं आये हैं अनस्टार्ड क्वैश्चन्स के।

माननीय अध्यक्षः मुरगन जी, ये जवाब भी नहीं आये हैं क्या?

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय...

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः ये 7 तारीख को जवाब आने थे।

माननीय अध्यक्षः वो मैं चैक कर लेता हूँ जो जो नहीं आये हैं, बैठिए आप, इसको...

श्री राजेश ऋषिः सर, मैंने भी विधानसभा में...

माननीय अध्यक्षः ऋषि जी, मेरा ये कहना है, बैठिए प्लीज, ऋषि जी। भई, जिन माननीय सदस्यों के उत्तर नहीं मिले; चाहे वो स्टार्ड थे, अनस्टार्ड थे, वो कृपया अपने जो भी उत्तर आयें हैं, एक बार क्वेश्चन आन्सर ब्रांच से बातचीत करके हो सकता है, देर से आये हों... नहीं आये हैं तो कृपया गलत भी आयें हैं, मुझे एक बार लिखकर अवश्य दे दें।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः आये नहीं।

माननीय अध्यक्षः हाँ, लिखकर दें दें एक बार, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः कोई भी अंदर नहीं आया।

माननीय अध्यक्षः हाँ लिखकर दें दीजिए महेन्द्र जी, लिखकर दीजिए, एक बार।

श्री सुरेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर जो है, आपने सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये जो है, यहाँ माननीय सदस्यों की जो है अवहेलना है, विधानसभा की जो है, कार्रवाई या विधानसभा के खिलाफ जाने का जो है ना, कोई ऐसा कोई प्रावधान या आप चर्चा कराना चाहें इस विषय के ऊपर आप चर्चा करायें क्योंकि ये एक गंभीर विषय है, लगातार होता जा रहा है। जब तक किसी न किसी एक अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जायेगी, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और जब किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आप करोगे तो इनको कोई बचाने वाला भी नहीं है। मैं यहाँ विधानसभा के अंदर पूरी जवाबदेही के साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायें ताकि ...(व्यवधान)

सुश्री भावना गौड़ः मैंने राजस्व विभाग से प्रश्न किया, वो सारी ग्रामसभा की लैंड जो किसानों की देख–रेख में रहनी चाहिए थी, वहाँ सब जगह

कब्जे हो गये; पाँच पाँच मंजिल के फ्लैट बन गये, व्यवसायिक गतिविधियाँ वहाँ चल रही हैं। तो ये जवाब देंगे क्यों? क्या जवाब देंगे?

माननीय अध्यक्षः बैठिए, भावना जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मुददा है, उसको या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसका ठीक से जवाब नहीं दिया जाता।

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, बैठिए अब प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः और विधानसभा में जब तक अगर सख्त आप कार्रवाई नहीं करोगे जब तक माननीय...

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः सदस्यों के साथ ऐसा ही होता रहेगा और जवाब देना न देना एक अलग चीज है। पर जो है यहाँ कम से कम यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनको आपने बुलाया था उनको यहाँ तलब किया था उनको विधानसभा के अंदर हाजिर होना निहायत ही जरूरी था ये विधानसभा की अवहेलना है और इनके सख्त से सख्त जो आपने प्रिंसीपल सैक्रेटरी बुलाये थे, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

माननीय अध्यक्षः बैठिए। लोकतंत्र के इतिहास में, आजादी के बाद मैं समझ रहा हूँ ये सबसे... जब से एलजी का ये लैटर आया, डायरेक्शंस आईं जिसका जिक्र मनीष सिसौदिया जी ने भी किया; लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू ये दिल्ली की राजनीति के इतिहास में विधानसभा के काले अक्षरों में लिखा जायेगा, जिस ढंग से... मुझे समझ नही आता अधिकारी वर्ग... और जब नौकरी पाता है, शपथ लेता है कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में न आकर जनहित

के कार्य करूँगा, किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं है; जनहित के प्रश्नों को रोकते हुए किसी अधिकारी के दबाव में या किसी पद पर बैठे व्यक्तित्व के दबाव में, राजनेता के दबाव में वो अधिकारी उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये उस सौगंध का जो देशहित में खाई गई थी, अपमान ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। अधिकारियों को ये विषय समझना पड़ेगा कि इस कदम से आप अधिकारी को तो खुश कर सकते हैं लेकिन दिल्ली की जनता, देश की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? ये एक विचारणीय विषय है। मैं यहाँ ये भी जोड़ रहा हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर अगर आरटीआई के माध्यम से पूछे जायें तो उत्तर मिलते हैं लेकिन एक चुनी हुई विधानसभा के माध्यम से पूछे जायें, नहीं मिलते हैं। अब से पहले चाहे पुलिस के बारे में प्रश्न पूछे जाते थे, चाहे डीडीए के बारे में पूछे जाते थे सबके उत्तर आते थे केवल उत्तर इसलिए न आएं कि कुछ भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। कमेटी के निर्णय हुए, कमेटी के निर्णय को सदन ने एडॉप्ट किया, उसके बावजूद भी कोई उत्तर न आये; दिल्ली में स्कूलों में कितनी वकेन्सीज खाली हैं, इसका उत्तर न आये डीडीए ने जो जमीन दिल्ली सरकार को सौंप दी, चाहे वो पैसे से सौंपी या किसी प्रोजेक्ट के लिए सौपीं, उस जमीन पर कितने कब्जे हो गये, कहाँ चली गई वो जमीन, इन अधिकारियों की मिली भगत से, जिस पर हक दिल्ली सरकार का... तो उत्तर न आएं, ये असहनीय है। असहनीय नहीं, ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। दिल्ली की जनता का अपमान है। इस सदन का ही नहीं, दिल्ली की जनता ने जहाँ विधायकों को चुनकर भेजा है, अपने मत का उपयोग करते हुए लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत उस व्यवस्था का अपमान है, उस संविधान का अपमान है।

मैं फिलहाल अभी ये सारे विषय, सारे प्रश्न जितने और मेरे पास आयेंगे उन सबको मैं सदन की अवमानना मानते हुए प्रिविलेज कमेटी को सौंप

रहा हूँ और इस प्रिविलेज कमेटी में मैं ये भी आदेश दे रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई माननीय मंत्रियों द्वारा हुई है, जैसे ही कमेटी उसमें बैठक शुरू करे, इन अधिकारियों को बुलाने में, प्रश्नों के उत्तर पूछने में, वो कार्रवाई भी उस कमेटी के समक्ष विद रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दी जाये, धन्यवाद।

श्री विशेष रविः क्योंकि मामला गंभीर है ... मैटर में ... इसको निर्णय लेने का आग्रह किया जाये ताकि वो पहले ही मैटर काफी सारे पैन्डिंग हैं कमेटी के पास उन पर भी कोई निर्णय हो पाया है क्योंकि ये मैटर बहुत गंभीर है, इसमें टाइम बाऊंड रखा जाये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी का ये प्रस्ताव कि टाइम बाऊंड किया जाये और उसमें सौरभ भारद्वाज जी का जोड़ना कि एक मास एक महीना किया जाये

अगर सदन इससे सहमत है, तो हाँ कहें;

कोई सदस्य असहमत है तो ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

अर्थात हाँ पक्ष जीता।

मैं ये आदेश देता हूँ कि प्रिविलेज कमेटी एक महीने के अंदर या जब भी एक महीने के बाद सदन की बैठक होगी, उसमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

श्री नितिन त्यागीः मैंने आपको एक अप्लीकेशन दी थी अंडर रूल 66, उसके ऊपर क्या हुआ सर?

सरकारी संकल्प (नियम–90) चर्चा जारी...

माननीय अध्यक्षः वो मैंने मार्क कर दी है कमिटी को, प्रिविलेज कमिटी को मैंने मार्क कर दिया। अब माननीय उप मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा के विषय में हम चर्चा आरम्भ करेंगे। सर्वप्रथम श्री राजेंद्र पाल गौतम जी चर्चा में भाग लेंगे, माननीय मंत्री जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेंद्र पाल गौतम): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। जो भारत का संविधान डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा, उस संविधान का एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर था जिसे फेडरल डिसेन्ट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर

... (व्यवधान)

(भाजपा के तीनों माननीय सदस्य सदन में आये।)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः धन्यवाद, विपक्ष के साथी भी आ गए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं दिलवाता हूँ, अभी दिलवाता हूँ बैठिए–बैठिए। हाँ, देंगे, चर्चा के अंदर...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं दिलवाऊँगा, अभी दिलवाता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, मैं चर्चा आरम्भ कर चुका हूँ। मैं पूर्ण राज्य के...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए, विजेन्द्र जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड झा साहब, आप बैठिए, प्लीज। विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा प्रारम्भ कर चुका हूँ। ये सदन किसी की बपौती नहीं है, आप जब आ जाएं और चले जाएं। ये किसी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बैठते यहाँ पर। मैं चर्चा आरम्भ कर चुका हूँ। माननीय मंत्री जी चर्चा आरम्भ कर चुके है। बीच में मैं उनको रोकूंगा नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैंने कहा था, नहीं, मगर आप बैठते, मैं चर्चा आरम्भ कर चुका हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं ये चर्चा आरम्भ कर चुका हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं पूर्ण... क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों, जब आप आएंगे, जब चर्चा आरम्भ हो जाएगी, मैं उनको रोक दूँ? उनको रोक दूँ मैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, छोड़ दीजिए आप। आप समय बर्बाद कर रहे है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप समय पर नहीं थे, नहीं, समय पर नहीं थे। मैंने पूर्ण राज्य के दर्जे की चर्चा को आरम्भ कर दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पूर्ण राज्य के दर्जे की चर्चा को आरम्भ कर दिया, वो चर्चा पूर्ण होने पर मैं आपको उत्तर दिलवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयत में खोट है।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, आपने ये कहा था...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकण्ड, हाँ, आप बोलिए, बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः काम रोको ... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमने ये कहा... तो आपने कहा कि मैं इसके ऊपर इसके बाद...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड... बाहर चले गए... उस वक्त आप यहाँ अगर मौजूद होते, अब आपने बात...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्यों–क्यों?

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सवाल का जवाब तो उन्होंने देना है

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सवाल है; लोकपाल पर काम रोको है हमारा

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः काम रोको था ना...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई काम रोको प्रस्ताव मैंने स्वीकार नहीं किया। आप बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, सिरसा जी, ऐसे नहीं चलेगा। ... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पर हमने तो कुछ ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं इसको, नहीं, उठकर, आप अब मेरी बात सुनेंगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी को रोकिए जरा एक बार। आप रुकिए, दो मिनट रुक जाइए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः रोल पर रखिए ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रुक जाइए आप।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरा ये कहना है; जैसे ही प्रश्नों के उत्तर का समय समाप्त हुआ...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वैसे ही लोकपाल पर ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उस वक्त मैंने आपसे कहा था, मैं उत्तर दिलवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप अंदर नहीं आए। मैं मंत्री जी को पूरा बोलकर के...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आपकी नीयत में खोट है। मैं बहुत क्लीयर बोल आपको शोर मचाना था। आप उनका जवाब सुनना नहीं चाहते। अभी राजेंद्र पाल जी खड़े हो चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, जवाब सबके लिए है

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए। जिसका क्वेश्चन था, वो है नहीं

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। एक सैकंड, आपका उत्तर दे रहा हूँ। तारांकित प्रश्न अगर होते हैं, माननीय सदस्य जिसका नम्बर आया, वो उपस्थित नहीं होता, वो उत्तर नहीं देना जरूरी होता। उसको उपस्थित रहना जरूरी है। मैंने आपसे कहा, मैं उत्तर दिलवाऊँगा। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। आप कहीं रुक ही नहीं पाते। आप कानूनी तौर पर... कहीं भी स्टेंड नहीं कर पाते आप कानूनी आप उपस्थित नहीं हैं, आप उपस्थित नहीं हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए, आप जब मर्जी आए मुँह उठाकर चले आए, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लोकपाल पर काम रोको ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः न, राजेंद्र पाल गौतम जी, आप बोलिए अपना पूरा बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमारे 59 पर काम रोको है। ... (व्यवधान)

(भाजपा के तीनों माननीय सदस्य सदन के वेल में माननीय अध्यक्ष के आसन के समीप आए)

माननीय अध्यक्षः मैं हर बार, मैंने कहा मैं उत्तर दिलवाऊँगा। मैंने कहा, मैं उत्तर दिलवाऊँगा। मैं फिर अभी, अभी मैं कह रहा हूँ...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप मेरी बात सुनेंगे?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमारा काम रोको है अध्यक्ष जी, उस पर बात करिए आप ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मेरी बात... आपका प्रस्ताव नहीं था। आप बीच में मत डिस्टर्ब करिए। आपका प्रस्ताव नहीं था, मैंने कहा था उनको, उत्तर दिलवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः काम रोको मैंने स्वीकार नहीं किया, काम रोको मैंने स्वीकार नहीं किया। बैठ जाइए आप।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः काम रोको और उस पर बात ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए आप।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः काम रोको ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ। सिरसा जी, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ, आपकी नीयत में खोट है। आप पूर्ण राज्य के दर्ज पर जो आपके अधिकारियों ने सदन में बोला वो है, उससे आप बैक आउट कर रहे हैं, उसको आपके कान सुन नहीं सकते, इसलिए आप बैक आउट कर रहे हैं, इसलिए आप गड़बड़ कर रहे है।

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, पूर्ण राज्य के दर्जे से बीजेपी भाग खड़ी हुई है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अभी कह रहा हूँ, आपके आने से पहले मैं राजेंद्र पाल जी को खड़ा कर चुका हूँ, उनको अभी बोलने दीजिए। सुन लीजिए बात को, उनको मैं खड़ा कर चुका हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, हम चाहते है पूर्ण राज्य के दर्जे पर भारतीय जनता पार्टी अपना मत स्पष्ट करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उसके बाद मैं मनीष जी को बोलूंगा, वो उत्तर देंगे, वो उत्तर देंगे...

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेट्स है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई काम रोको मैंने स्वीकार... मैंने एक्सेप्ट भी किया? मैंने काम रोको एक्सेप्ट भी किया? किसने मुझे कहा?

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः किस पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बार–बार बात की, आज वो पूरे उस मत से पलट गई है, ये दिल्ली की जनता को जवाब दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपका आदेश चलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए अब। काम रोको प्रस्ताव, बैठ जाइए, काम रोको प्रस्ताव लोकतंत्र के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत ये अध्यक्ष की इच्छा पर होता है, रोके या ...

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः हम चाहते हैं आप रुकें और आप लोकपाल पर भी जवाब सुने।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए। हाँ, मैंने खुद ये कहा है।

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः गुप्ता जी, आप बैठिए। लोकपाल पर भी आपको जवाब मिलेगा आज। हम उम्मीद करते हैं, आप जवाब सुनेंगे। हम आपसे आशा करते हैं, आप लोकपाल पर भी जवाब सुनेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप जाइए, बाहर से जाइए। मैंने ये कहा...

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आप जान–बूझकर वो माहौल बना रहे हैं ताकि आपको बाहर भेजा जाए क्योंकि आप न तो लोकपाल का जवाब सुनने को तैयार हैं और न आप दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर अपनी बात रखने को तैयार हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं उत्तर दिलवाने को अब भी तैयार हूँ। पर मैं इस बात पर आपके दबाव में...

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आप भागना चाहते हैं, इसलिए बार–बार सदन को डिस्टर्ब करते हैं और स्पीकर के सामने आकर खड़े हो गए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सुन लीजिए बात को पहले। मैं आपके दबाव में आकर नहीं दिलवाऊँगा कि आप जब आए, आपने शोर मचा दिया। मैं राजेंद्र जी को खड़ा कर चुका हूँ। राजेंद्र जी को...

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आप अपना मत स्पष्ट कर दो ना। आप दिल्ली की जनता के सामने स्वीकार कर लो ना कि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। आप दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के खिलाफ हैं। आप ये स्वीकार कीजिए सबके सामने आज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप सीट पर आइए, पहले सीट पर आ जाइए। आप सीट पर आ जाइए पहले। आप मुझे मजबूर कर रहे है। हाँ, अब बताइए, क्या कह रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है, हमने इस विषय को उठाया। आपने हमें ये कहा कि आपने किस रूल के तहत उठाया,

आपने रूल के तहत नहीं, आपने मुझे एक पर्सनल लैटर दी थी। हमने ये इस बात को लेकर हम वहाँ से वॉकआउट कर गए ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब आप इसकी बात करिए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ ना। ... (व्यवधान) और रूल के तहत हमने काम रोको लगाया। आपने खुद कहा कि ठीक है, इसके बाद मैं इसका जवाब दिलवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने, एक सैकंड, आपने अपनी बात कह ली?

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अब तो रूल के तहत है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप मेरी बात सुन लीजिए, माइक बंद कर दीजिए वो। अब मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पहले इस पर अपनी रूलिंग दी। रूलिंग देने के बाद आप खड़े हुए। आपने कहा जन लोकपाल पर, पहले विजेन्द्र जी बोल रहे थे पानी पर, ठीक है?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पानी पर ध्यान आकर्षण था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रुक जाइए अब। मैं अपनी रूलिंग दे चुका था। जन लोकपाल बिल पर आप बाद में आए। मैंने कहा जन लोकपाल बिल का जो भी आपका विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा दूँगा।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बस, यही तो है हमारा...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने काम रोको नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने काम रोको रोका।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे! वो चिल्ला रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं है।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य भी सदन के वेल में माननीय अध्यक्ष के आसान के समीप आए)

माननीय अध्यक्षः आपको... न तो वो कह रहे हैं, काम रोको पर है, आप कह रहे है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए अभी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने कहा जल लोकपाल बिल पर उत्तर दिलवा दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने कहा ना, जवाब दिलवा दें, आपने कहा ना जवाब... अरे! आपने कहा ना, जवाब दिलवा...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जन लोकपाल बिल पर जवाब माँगा मंत्री से...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः काम रोको मैंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, काम रोको मैंने रिजेक्ट कर दिया। आप जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, सिरसा जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ बैठिए, प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो चाहते हैं, मैं बाहर करूँ, वो चाहते हैं, मैं बाहर करूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं... एक बार बैठिए, प्लीज। वो मैं देखता हूँ, आप अंदर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप अगर वैल में खड़े रहेंगे तो जितने वैल में हैं, मुझे सबको बाहर करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बैठिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए जाकर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए, सौरभ जी लेकर जाइए, सौरभ जी, लेकर जाइए, प्लीज। चलिए सरिता जी, आप समझते नहीं हैं बात को। राजेश जी, चलिए, राजेश जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, को...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, सदन की मर्यादाओं को तोड़कर, राजेश जी, आप चलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो सदस्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, सौरभ जी, सौरभ जी, लेकर जाइए इनको।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजेश जी, ये ठीक नहीं हो रहा। सौरभ जी, प्रवीण जी, चलिए आप। झा साहब, चलिए, चलिए, उधर।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लोकपाल की फाइल ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए। विजेन्द्र जी, आप सदन की मार्यादाओं को तोड़कर आप माननीय सदस्यों की और बढ़े हैं। मैं आदेश देता हूँ, बाहर जाइए। मैं आदेश देता हूँ आप बाहर जाइए। आप मर्यादा तोड़कर... आप माननीय मंत्री जी की, माननीय मंत्री जी की कुर्सी तक गये। आप माननीय मंत्री जी कुर्सी तक गये। आप जाइये। आप माननीय मंत्री की कुर्सी तक गये। माननीय मंत्री की कुर्सी तक... क्या बात करते है। बैठ जाइए। मार्शल्स, बाहर करिए। विजेन्द्र जी को बाहर करिए। आप मंत्री की कुर्सी तक जाएं। बाहर करिए, मार्शल्स। आपने... नहीं आप जाइए प्लीज। लेके जाइये, ले जाइये इनको बाहर। आपने जो मर्जी आया, किया हुआ है। सारा सदन... आप मंत्री की कुर्सी तक जा रहे हैं। आप मंत्री की कुर्सी तक जा रहे हैं। छोड़ दीजिए आप। ले जायें बाहर लेके जायें, तुरंत। कोई रिलीफ नहीं, नहीं है, लेके जाइये बाहर। तरीका...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, आप भी गड़बड़ कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः किसलिए?

माननीय अध्यक्षः सेक्रेटरी का माइक अपने हाथ में ले रहे हैं। ये सेक्रेटरी का माइक... नहीं किसलिए उठाया आपने?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी को बाहर करें, इसके बाद। सिरसा जी को बाहर करें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः किसलिए?

माननीय अध्यक्षः किसलिए? ये, ये कम है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या?

माननीय अध्यक्षः ये कम है जो आप कर रहे हैं? बाहर करिए, सिरसा जी को। मार्शल्स, बाहर करिए।

... (व्यवधान)

(मार्शल्स द्वारा श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष और श्री मनजिंदर सिंह सिरसा को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया।)

(श्री जगदीश प्रधान का सदन से बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्षः मुझे सब समझ में आता है। ये गुंडागर्दी नहीं समझ में आती। जिस गुंडागर्दी पर आप उतरे हैं। ये गुंडागर्दी मुझे समझ नहीं आती। कोई बात नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, सदन को

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हालांकि ये विषय पहले सदन में सिरसा जी ने उठाया था। माननीय मंत्री जी सदन पटल पर विशेष आग्रह से उसका उत्तर दे चुके, जन लोकपाल बिल को लेकर और उसके बावजूद भी, आज भी मैंने कहा, मैं आपको उत्तर दिलवा दूँगा। इस पर कोई काम रोको प्रस्ताव नहीं बनता, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। वो जन लोकपाल बिल पर चर्चा ही नहीं चाहते। प्रश्नोत्तर के बाद वो यहाँ नहीं बैठे थे। प्रश्न–उत्तर में शुरू उसके बाद मैं चर्चा आरंभ कर चुका हूँ; पूर्ण राज्य के दर्जे पर। या तो पहले आ के बैठते वो। माननीय मंत्री जी, आरंभ करें।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अवसर देने के लिए। चूंकि ये सब्जेक्ट बहुत संवेदनशीाल है; पूर्ण राज्य का दर्जा। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो जिस तरह सरकार के खिलाफ, जनता की चुनी हुई सरकार के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से देखा जाये तो एक युद्ध छेड़े हुए है, ये किसी की हिम्मत नहीं होती, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती।

दुःख की बात ये है कि जो पार्टी आजादी के बाद से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए समय समय पर आवाज उठाती रही, चौरासी से... जिस ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूती से आवाज को अपना बुलंद किया, आज जब वो बहुमत से केन्द्र में बैठी हुई है और अपने इलेक्शन में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जिसने अपनी मेनिफेस्टो में भी रखा हमेशा, केन्द्र के मेनिफेस्टो में भी रखा और दिल्ली के मेनिफेस्टो में भी रखा, जब वो आज केन्द्र में बहुमत में है, जब उसके लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना आसान था, तब आज पूर्ण राज्य के दर्जे पर बहस पे विधान सभा के अंदर ऐसा माहौल बनाना ताकि दिल्ली की जनता को दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी

का क्या मत है, इसपे उनको जबाब देना पड़ता, इसलिए जान–बूझकर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया ताकि उन्हें सदन से बाहर करना पड़े। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और अपनी चर्चा शुरू करता हूँ।

जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान की रचना कर रहे थे, तो उस वक्त जब वोट का अधिकार देने पर चर्चा हुई, तो कुछ संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए, उसी वक्त कुछ संविधान सभा के सदस्य चाहते थे कि वोट का अधिकार इनकम टैक्सपेयी को मिलना चाहिए और उसी वक्त कुछ लोग ये चाहते थे कि वोट का अधिकार बड़े बड़े जमींदारों को मिलना चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि वो अपने मत पर अड़ गये और उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद होगा, तो भारत के अंदर किसी को भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, अमीरी–गरीबी किसी भी आधार पर कभी भी किसी का शोषण नहीं किया जा सकता और उन्होंने देश के तमाम् नागरिकों को समान रूप से वोट का अधिकार देने की न केवल वकालत की बल्कि संपूर्ण संविधान सभा को उसके लिए कन्विन्स किया और अल्टीमेटली हमारे देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला।

बाबा साहब ये जानते थे कि हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म के लोग बसते हैं। हर पचास किलोमीटर पे हमारे देश में संस्कृति, भाषा, व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। तो उन्होंने संविधान में एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया, एक ऐसा फेडरल डिसेंटरलाइज स्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसको सभी... मैं समझता हूँ, पसंद करेंगे और करते हैं। लेकिन आज जो पार्टी केन्द्र में सत्ता में आ गयी है, वो इतनी तानाशाह पार्टी बन गयी है कि उसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक को लगभग अपने कब्जे में ले लिया है। मैं सदन के सामने दुःख के साथ इस बात

को व्यक्त कर रहा हूँ... क्यों? अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेज मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम आज जनता की अदालत के सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज प्रजातंत्र खतरे में हैं और ये जीता–जागता उदाहरण दिल्ली की इसी सम्मानित विधान सभा से हम लगातार सवाल लगाते रहे और लगातार न केवल दिल्ली सरकार के विभाग बल्कि केन्द्र सरकार के विभागों से भी हमेशा जबाब आते रहे हैं। छः महीने पहले तक, तो क्या आज एल.जी. साहब ने दिल्ली की जनता के खिलाफ, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ नौकरशाहों के माध्यम से अघोषित युद्ध छेड़ दिया है, इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। उसी पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ।

जब 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनी। कुछ मुद्दों पर टकराव हुआ और 1956 में दिल्ली की विधान सभा को भंग कर दिया गया और उसके बाद 1987 में आर. एस. सरकारिया जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ। बीच में सरकारिया जी ने उस पद को छोड़ दिया और उनकी जगह एस. बालाकृष्णन जी ने ली और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। 1991 में उन्हीं की रिपोर्ट पे दिल्ली के लिए संसद के अंदर अलग से कानून बन के ये आधा–अधूरा राज्य दिल्ली को दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि सबके वोट की कीमत बराबर है, जब हम प्रजातंत्र की डैफिनेशन पढ़ते हैं, 'डैमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाई द पीपल यानी प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है तो प्रजातंत्र के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेंगे या कोई नोमिनेटिड निर्णय लेगा? दिल्ली से वायसराय तो चले गए लेकिन उनकी

जगह दिल्ली की जनता के सिर पे मिस्टर लाट साहब बिठा दिए। आज इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी शुरू से लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करती थी, उसके साथ–साथ जो कॉग्रेस पार्टी थी, वो भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करती थी, आज उनका मत क्या है? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में दोनों पार्टी को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन केन्द्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज बहुमत में है, वो अघोषित रूप से सैंटर में बैठकर दिल्ली पर लाट साहब के माध्यम से राज कर रही है। आज मैं सदन को, सदन पटल पर अपनी आज की बहस की एक प्रति सदन पटल पर रखना चाहता हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने संसद के अंदर क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की विधान सभा में क्या कहा, कॉंग्रेस के नेताओं ने संसद के अंदर क्या कहा, कॉंग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की विधान सभा में क्या कहा, ये दस्तावेज विद प्रूफ उनकी अलग–अलग टीवी पे, अखबारों में जो स्टेटसमैंटस उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में की, वो मैं सदन पटल पर रखना चाहता हूँ। ये पूरा संकलन है।

माननीय अध्यक्ष जी, बीजेपी के वैटरन लीडर कालका दास जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, 1988 के अंदर उन्होंने संसद के अंदर लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, 'यह वास्तव में सच है कि अगर दिल्ली और मन से इच्छा से हम दिल्ली वालों की अगर हम कुछ सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने और यहाँ पर विधान सभा स्थापित करने के अतिरिक्त दूसरा चारा नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने देखा कि यहाँ पर कितने–कितने इजारे हैं, कितनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑथोरिटी हैं। यहाँ पर दिल्ली में ही काम करने वाली अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो दिल्ली के

नागरिकों से तो जुड़ी हुई हैं लेकिन उनकी बागडोर दिल्ली के प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है। यहाँ पर दिल्ली मिल्क स्कीम, डीटीसी, दिल्ली डेवलपमैंट ऑथोरिटी, एमसीडी, नाना प्रकार की एजेंसीज हैं। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज की वजह से दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो पाते, इस चिंता को खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो आज हमारे बीच नहीं हैं; कालका दास जी ने संसद के अंदर रखा था 1988 में। आज अगर वो जीवित होते तो उनका मन कितना दुःखी होता।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी असेंबली के अंदर रामवीर सिंह विधूड़ी का जवाब देते हुए उस वक्त के आलोक कुमार जी, जो डिप्टी स्पीकर भी रहे, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे भी आज बार–बार याद आती है। उन्होंने विधूड़ी जी को जवाब देते हुए पूरे सदन के बीच में कहा कि अगर 10 या 20 साल बाद विधूड़ी जी मैं इस बात की संभावना से इंकार नहीं कर सकता कि कभी आप के दल का भी शासन हो सकता है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में वह दिन आ सकता है जब आप यहाँ पर बैठे होंगे और हम अपोजिशन में बैठे होंगे। अगर इस बात को ईमानदारी से देखें तो यही लोग जो वक्त उधर बैठते थे तब उन्होंने खुद इस बात की चिंता जाहिर की थी कि कभी भी हम सत्ता में हो सकते हैं और आप विपक्ष में हो सकते हैं। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने उन वरिष्ठ नेताओं की सोच के खिलाफ हो गए हैं? क्या आज दिल्ली की जनता के दुःख–दर्द इनको नजर नहीं आते, इस पे चर्चा होनी चाहिए। उस वक्त मदनलाल खुराना जी ने 26 अगस्त, 1994 को इसी सदन के अंदर कहा था सरकार को केंद्र सरकार का एक अधीनस्त शासन माना जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर केंद्र सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण है। दिल्ली की एक गलत किस्म की दोहरी शासन व्यवस्था को झेलना पड़ रहा है।

लास्ट में वो कहते हैं, ''बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए।'' तो आज अपने जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा करने में अपना जीवन लगाया, क्या भारतीय जनता पार्टी के आज के नेता पूरी तरह से उस मत के खिलाफ हो गए, इसपे चर्चा करने का समय है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली में एक बुजुर्गों से सुनते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे, 'एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती।' ये मत कोई गलत नहीं है, वास्तव में एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती और एक जहाज पर अगर दो कैप्टेन होंगे तो उस जहाज का मंजिल पर पहुँचना एकदम मुश्किल होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार के माध्यम से जिस तरह एलजी के माध्यम से ब्यूरोक्रैसी के कंधे पर बंदूक रखके दिल्ली की जनता के सीने पर चलाई जा रही है, चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर नॉमिनेटिड लाट साहब के माध्यम से दिल्ली की जनता के हितों को आग के हवाले किया जा रहा है, ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही दर्दनाक दिन है, बहुत अशोभनीय दिन है। लगता है, अब इसके खिलाफ संघर्ष का दिन आ गया है। लगता है अब जिस तरह उत्तराखंड बनाने के लिए, झारखंड बनाने के लिए, छतीसगढ़ बनाने के लिए वहाँ की जनता ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया, मुझे लगता है दिल्ली की जनता को भी अपना अधिकार पाने के लिए, जो हमने पढ़ा, 'सबके वोट की कीमत बराबर है' तो आज दिल्ली के वोट की कीमत क्या बाकी राज्यों के नागरिकों के बराबर है? इस सवाल पे चर्चा होनी चाहिए। इस सवाल पे चर्चा हो चाहिए कि दिल्ली के बारे में फैसले लेने का हक दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि को होना चाहिए या दिल्ली के ऊपर थोपे हुए नोमिनेटिड एलजी का होना चाहिए, इस सवाल पे चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर जगह–जगह आज खुले आम

नशा बिक रहा है, आप अभी चले जाइए, बस अड्डे से थोड़ा आगे जाते ही यमुना बाजार पे, या कनाट पैलेस के अंदर हनुमान मंदिर पे खुले आम आपको हजारों की संख्या में युवा नशा करते हुए, नशा खरीदते हुए मिल जाएंगे। क्या दिल्ली के लाट साहब, या केंद्र के गृह मंत्री या हमारे देश के प्रधान मंत्री इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है कि दिल्ली के अंदर अगर युवा नशे के आदी हो रहे हैं, दिल्ली के युवाओं का जीवन अगर बर्बाद हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसी है। अगर ये पॉवर दिल्ली के पास होती, अगर दिल्ली की पुलिस दिल्ली के पास होती तो आज हम इस जिम्मेदारी को लेते या तो हम उसको सुधार देते या अपने पद से इस्तीफा दे देते। क्या एलजी साहब दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमें वो माँग, ''अंग्रेजो भारत छोड़ो,'' क्या वह माँग दोहरानी पड़ेगी? एलजी साहब भारत छोड़ो, दिल्ली छोड़ो। दिल्ली को एलजी साहब स्वीकार नहीं हैं, चूंकि दिल्ली के अंदर, अगर तुम अवैध रूप से बिकते हुए नशे को नहीं रोक सकते, अगर दिल्ली के अंदर युवाओं के अंदर बढ़ते नशे को, युवाओं की जिन्दगी को बर्बाद होते हुए देखते हुए आप उसको नहीं रोक सकते तो आपको दिल्ली का ये जिम्मेदारी अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर हमारी बहन–बेटियों की इज्जत लुट रही है और एलजी साहब बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, क्या आप पॉवर का केवल इस्तेमाल करने के लिए हैं। पहले क्या था? राजा माँ के पेट से पैदा होता था, लेकिन आजाद भारत में बाबा साहेब के दिए संविधान में, एक ऐसी व्यवस्था की गई कि अब राजा माँ के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से पैदा होता है, अब ईवीएम से पैदा होता है। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर राजा ईवीएम से पैदा हो रहा है? दिल्ली के अंदर तो राजा नॉमिनेटेड है। तो सबके वोट की कीमत बराबर कहाँ रही? दिल्ली के बारे में निर्णय लेने का हक दिल्ली के

चुने हुए प्रतिनिधियों को होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए तो लगता है, अब आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर जितने भी विभाग हैं।

माननीय अध्यक्षः राजेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए। प्लीज, कन्क्लूड करिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम (समाज कल्याण मंत्री): सर्विसेज के नाम पर दिल्ली के सारे विभाग आज एलजी के हाथ में हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः राजेन्द्र जी, अब रिपोर्ट आ चुकी है, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः बस दो मिनट तो दे दो। दो मिनट में खत्म करता हूँ। वैसे तो लंबा मेरा स्पीच तैयार किया हुआ था।

माननीय अध्यक्षः लंबा नहीं हो पाएगा।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः लेकिन अगर समय कम है तो मैं खत्म कर देता हूँ। बस एक मिनट और दे दीजिए।

माननीय अध्यक्षः समय कम है।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मेरे पास मेरे तीन विभागों का आँकड़ा है। इन तीन विभागों के आँकड़े से दिल्ली के अंदर क्या परफॉर्मेंस दी जा सकती है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है और अगर वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। अगर डिपार्टमैंट में कर्मचारियों की कमी है तो इस कमी की जिम्मेदारी एलजी साहब लें और अपने पद से त्याग–पत्र दें। रजिस्ट्रार आफिसर में 362 सेंक्शन्ड पोस्टें हैं। 362 में से 123 वेकेंसीज

फील्डअप है। 34 परसेंट की स्ट्रेन्थ पे दिल्ली सरकार का सोसायटी आफ रजिस्ट्रार 34 परसेंट की स्ट्रेन्थ पर काम कर रहा है। अंदाजा लगाइए क्या परफोर्मेंस देगा! और उसमें भी जब स्पेशल सेक्रेटरी को डेलीगेट करनी होती है पॉवर एलजी को तो दो–दो साल वो पॉवर डेलीगेट करने में लगा देते हैं और अगर स्पेशल डायरेक्टर को पॉवर ही नहीं होगी डेलीगेट तो फिर वो काम क्या करेगा? तो क्या दिल्ली के एलजी साहब दिल्ली की सरकार के काम को पूरी तरह से रोक देना चाहते हैं? मेरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमैंट 1222 पद है; सेंक्शन्ड पोस्ट केवल 504 पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं। 42 परसेंट की स्ट्रेन्थ पे मेरा विभाग काम कर रहा है। जहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन, विक्लांगों की पेंशन, ओल्ड एज होम तमाम तरह की वेलफेयर स्कीमस चलाने का जिम्मा सोशल वेलफेयर डिपार्टमैंट पे है। लेकिन उसकी स्ट्रेन्थ केवल 42 परसेंट है। 42 परसेंट की स्ट्रेन्थ पे क्या हम पूरा रिजल्ट दे पायेंगे? क्या इस अक्रमण्यता की जिम्मेदारी एलजी साहब लेना चाहेंगे? क्या एलजी साहब इसके लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार है? एससी/एसटी डिपार्टमैंट में 90 सेंक्शन्ड पोस्ट हैं; 55 लोग काम कर रहे हैं। 62 परसेंट की स्ट्रेन्थ पर काम कर रहा है। अगर मैं अपने सारे मंत्रालयों सारे डिपार्टमैंट की स्ट्रेन्थ निकालें तो 50 परसेंट या उससे भी कम की स्ट्रेन्थ पे दिल्ली की सरकार अपना काम कर रही है। उसके बावजूद भी दिल्ली रिमार्केबल काम कर रही है। पूरी दिल्ली में ही नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली की सरकार डंका बज रहा है। तो ये मुझे लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम सारे विधायक की रात–दिन की मेहनत का नतीजा है। जो इतने कम स्ट्रेन्थ पे भी हम इतनी अच्छी परफोर्मेंस दे पा रहे हैं। लेकिन जहाँ–जहाँ पुलिस पूरी तरह फेल है और पुलिस के साथ–साथ केन्द्र के सारे विभाग फेल है। मैं चाहता हूँ एलजी साहब अपने फेलियर होने का की रिस्पांसिबिल्टी

लें। चूँकि जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की और आप बिना जवाबदेही के पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। तो ये तो दिल्ली में अब नहीं चलेगा, हम चलने नहीं देंगे। लेकिन चूँकि आपने पहले ही समय की सीमा बाँध दी। तो मेरे पास बहुत सारा मसाला तैयार किया था लेकिन चूँकि बाकी हमने समय आज सीएम साहब को देना है। मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत–बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, इतिहास कहीं न कहीं अपने आप को दोहराता है। आज हमारी आँखों के सामने राष्ट्रीय जीवन का वह जगमगाता हुआ पृष्ठ सामने आता है हमारी आँखों के जब नन्दवंश के अत्याचारों से त्रस्त जनता को मुक्ति दिलाने के लिए आचार्य चाणक्य ने पावन प्रतिज्ञा की और कालांतर में ऐसे राज्य का निर्माण किया जो देश को एक स्वर्ण युग की तरफ ले जाता है।

अध्यक्ष महोदय, भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान की रचना हुई और संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के अंदर ये शासन जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होगा, इस बात को संविधान के अंदर लिखा गया। आदरणीय श्री अरविंद जी ने अपनी एक किताब में लिखा कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है। राज्य को स्थिरता प्रदान करना उसको प्रगति प्रदान करना, ये केन्द्र सरकार का भी दायित्व है, ये जनता का भी दायित्व है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का भी दायित्व है। अध्यक्ष महोदय, यूँ तो दिल्ली को हिन्दुस्तान का दिल कहते हैं। दिल्ली समस्याओं से भरी पड़ी है, प्रश्नों से भरी पड़ी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत

से जीतकर के आई हुई इस सरकार के पास जितने प्रश्न हैं, उससे ज्यादा कहीं उत्तर हैं और जितनी ज्यादा समस्याएं हैं, उनसे ज्यादा कहीं समाधान है। लेकिन जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल पूरे केन्द्र सरकार ने एकजुट होकर के जिस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, हमारी सरकार को फेल करने के लिए वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक तरीके से जीतकर के आई हुई बहुमत से बनी हुई हमारी सरकार इसने बहुत सारे स्वप्न देखे। लेकिन उन स्वप्नों को साकार करने के लिए धरातल पर जिस प्रकार का काम हम लोग करेंगे। उस प्रकार का काम कहीं केन्द्र सरकार कहीं एलजी सरकार अपने आप में जो रोड़ा बन रही है, स्पीड ब्रेकर बन रही है। उससे पूरी दिल्ली की जनता आज त्रस्त है और कारण केवल यही है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। वो आज भी केन्द्रशासित प्रदेश गिना जाता है। आज डीडीए हमारे पास में नहीं है, डीडीए को जो विकास के कार्य करने चाहिए, वो दिल्ली में नहीं हो पा रहे। उसका जनता से कोई लेना–देना ही नहीं है डीडीए का। अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस व्यवस्था हमारे पास में नहीं है जिसके कारण दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। घर–घर राशन पहुँचाने की योजना का स्वप्न जो हमारी सरकार ने देखा, आज वो योजना अधर पर लटकी हुई है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण–पत्र उसको देने के लिए दिल्ली में आफिस जाने वाले लोगों के पास जिनके पास समय नहीं है, वो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं। किसी कारण से समय उनके पास नहीं है। उनको ये प्रमाण–पत्र की व्यवस्था उनके घर तक पहुँचाने की हो, ये व्यवस्था भी अभी तक अधर में है, सीसीटीवी कैमरे अभी तक हम नहीं लगा पाए, जनलोकपाल बिल उसके बारे में हमारे साथी भाई ने खूब जमकर के बोला। मोहल्ला सभा जिसको सीधा–सीधा आम नागरिकों के साथ जोड़ने का कार्य जो हमारी सरकार करने

वाली थी, वो योजना भी अभी अधर में है। आम आदमी को हम पूरी तरह से इस योजना के अंदर भागीदार नहीं बना पाए।

अध्यक्ष महोदय, पूर्ण बहुमत से जीतकर के आई हुई ये सरकार अपनी योजनाओं को अपने तरीके से लागू नहीं कर पा रही और इसका केवल एक ही कारण है कि जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, वो योजनाएं, वो स्वप्न हम कहीं न कहीं साकार नहीं कर पायेंगे। जिस प्रकार हिन्दुस्तान में दूसरे राज्यों को सम्मान मिल रहा है, उनका हक मिल रहा है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जीतकर के आई हुई, इस लोकतांत्रिक तरीके से जीतकर के आई हुई सरकार के पास न तो वो सम्मान है और न ही वो हक है जिसके द्वारा हम दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि दिल्ली के विकास के लिए कुछ काम धरातल पर आकर के कर पाएं।

अध्यक्ष महोदय, सन 1952 में देश के आजाद होने के बाद में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो सीएम होते थे। उनकी अध्यक्षता में विधानसभा बनी, विधानसभा के इसी हाउस में उनका वक्तव्य लगभग ढ़ाई घंटे का रहा और उस समय दिल्ली में 'सी' स्टेट्स का दिल्ली को 'सी' स्टेट का दर्जा दिया गया। चार साल लगभग ये सरकार चली, उसके बाद इस सरकार को भंग कर दिया गया। 1967 में महानगर परिषद बनी और उस समय भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 1993 से लेकर के अब तक लगभग छः विधानसभाएं बनी हैं और जब–जब जो–जो सरकार रही, उन्होंने इस बात को अपने घोषणा–पत्र में भी रखा कि अगर हम जीतकर के आए तो दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिल्ली को दिलवायेंगे। लेकिन उन्होंने ये माना; कांग्रेस ने ये माना, बीजेपी ने ये माना कि इस दिल्ली के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं। यहाँ डीडीए है, एनडीएमसी है, यहाँ

पर एमसीडी है। लेकिन इतनी सारी संस्थाओं के होने के बावजूद जिस तरीके से सूत्र में पिरो करके काम होने चाहिए, उस तरीके से दिल्ली के विकास कार्य नहीं हो पा रहे। इसीलिए तय किया घोषणा पत्र में कि अगर हम जीत करके आए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, उस समय जब हमारे सी.एम. साहब चौ. ब्रह्म प्रकाश जी होते थे, उनकी ये स्टेटमैंट मैं निकलवा करके लाई हूँ उन्होंने अपनी स्टेटमैंट में बहुत क्लीयर बोला कि आजादी हमें बहुत लड़ते लड़ते मिली है लेकिन इस लोकतंत्र के माहौल के अन्दर अगर राज्य अपने आप में केन्द्र शासित रहेगा तो उसकी स्थिति स्वाभाविक तौर पे वैसे होगी जैसे किसी एक व्यक्ति को कुर्सी के ऊपर बैठा दें और उसको कहें कि इस घर के, इस कुर्सी के मालिक तुम हो लेकिन उसके हाथ पैरों को बाँध दिया जाए, जकड़ दिया जाए तो शायद वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ इस तरह कि कटिंग्स में लेकर के आई हूँ जो मैं सदन के सामने रखूँगी। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के अन्दर, कांग्रेस के अन्दर सर्वोपरि नेता रहे और आज जिस बात का व्याख्यान इस हाउस में कर रहे हैं। जिस बात के लिए आपने इस हाउस को तीन दिन के लिए बुलाया है और इस मुद्दे को केवल हम नहीं रख रह, बीजेपी ने रखा है, कांग्रेस ने रखा है। लेकिन किन शब्दों में अपनी बात को उन्होंने रखा, मैं उस बात को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1988 में बीजेपी के लीडर कालका दास जी ने कहा, ये उनके शब्दों में मैं सदन के सामने बात रख रही हूँ। उन्होंने कहा... अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में सच है कि अगर दिल और मन से हम दिल्ली वालों की कुछ सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने और दिलवाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए और

अगर हम ये प्रयास नहीं कर पाए तो कम से कम इस विधान सभा को स्थगित कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बताया कि दिल्ली में काम करने वाली अनेक संस्थाएं हैं जो सीधा–सीधा दिल्ली के नागरिकों से जुड़ी हैं लेकिन उनकी बागडोर दिल्ली के प्रतिनिधियों के हाथ में न होकर, केन्द्र सरकार के हाथ में है जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने स्वयं में प्रश्न किया कि जितने प्रतिनिधि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हैं अगर वो इस हाउस में सवाल नहीं उठा सकते। अगर उनके सवालों का कोई मायना ही नहीं है तो हम इस विधान सभा में चुनकर के क्यों आए हैं, अध्यक्ष महोदय?

माननीय अध्यक्षः भावना जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज। कन्क्लूड करिए।

सुश्री भावना गौड़ः सर, मैं दो मिनट तो आप मुझे देंगे।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, अगर आप कह रहे हैं कि समय का अभाव है तो कुछ मेन–मेन पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगी।

आदरणीय मदन लाल खुराना जी ने 26 अगस्त, 1994 में दिल्ली के अन्दर एक यात्रा निकाली। उस यात्रा को उन्होंने न्याय यात्रा का नाम दिया और ये न्याय यात्रा का केवल जो विषय था, वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलवाएँ, केवल उसी विषय पे न्याय यात्रा निकाली। उन्होंने अपने वक्तव्य के अन्दर कहा कि दिल्ली सरकार को केन्द्र के अधीनस्थ माना जा रहा है और प्रत्येक स्तर पर केन्द्र सरकार का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली को एक किस्म से दौहरी शासन व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा जिम्मेवारी और अधिकारों का आपस में कोई वास्ता नहीं होता। उन्होंने कहा कि गंभीरता पूर्वक विचार–विमर्श करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा

हूँ कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से इस विषय पर बात करूँगा और हो सका तो इसे लागू करवाने का प्रयास करूँगा और यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय, उन्होंने विपक्ष को भी इस चीज के लिए आमंत्रण दिया कि आप आइए, ये विषय बहुत गंभीर है। साहिब सिंह वर्मा जी ने सन् 1998 में एक ड्राफ्ट बिल निकाला जिसकी कॉपी मैं सदन को दिखा रही हूँ। इस ड्राफ्ट बिल में भी उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए हम पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इस ड्राफ्ट बिल को उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लोकसभा की सरकार को भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र के दौरान जो वाजपेयी जी के शब्द थे, मैं उसको सदन में रखना चाहूँगी। उन्होंने कहा, 'हम चाहेंगे कि राज्यों को स्वायत्तता मिले। हम चाहेंगे कि छोटी सी बात के लिए थोड़े से अनुदान के लिए किसी भी योजना को पूरा कराने के लिए राज्यों को दौड़ न लगानी पड़े। साधनों का बंटवारा इस तरीके से हो कि राज्य अपने पैरों पे खड़े हो सकें। विकास की जिम्मेवारियाँ स्वयं निभा सकें। राज्यों को अधिक से अधिक वित्तीय साधन मिले, ये हमारी नीति है।' ये वाजपेयी जी ने कहा, 2003 अगस्त में। अडवाणी जी के पास में जब ये प्रस्ताव गया तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को इसको सौंप दिया। 2011 में विजय कुमार मल्हौत्रा जी ने लोकसभा में खड़े होकर अपने वक्तव्य में इस बात को माना कि बीजेपी की सरकार; हम बीजेपी के लोग 1956 से तैयार हैं और इस बात का समर्थन करते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी तरीके से 2013 में गोवा के अन्दर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और वहाँ विजय गोयल जी मौजूद थे और विजय गोयल जी के ये शब्द थे कि ये एक सबसे बड़ा इश्यू है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 14 साल के शासन काल में आज तक इस विषय पर कुछ नहीं किया। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो स्वाभाविक तौर पे हम जो काम करेंगे, वो सबसे पहला कार्य दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलाकर के देंगे। ये 1913 की बीजेपी की घोषणा है। इन्होंने स्पष्ट रूप में इसके अन्दर लिखा है। अध्यक्ष महोदय, एक और मजे की बात है।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, भावना जी, अब कन्क्लूड करिए।

सुश्री भावना गौड़ः बस दो लाइन में मैं खत्म कर रही हूँ, अध्यक्ष महोदय। 2014 का चुनावी घोषणा–पत्र आया। लोकसभा का राष्ट्रीय घोषणा–पत्र पूरे राष्ट्र के लिए, लेकिन देखिए मजे की बात... उसे अन्दर भी... एक घोषणा पत्र के अन्दर एक और घोषणा पत्र आया जो केवल दिल्ली की सात सीटों के लिए था और उन सात सीटों के ये घोषणा–पत्र की कॉपी अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर उन्होंने लिखा है कि अगर दिल्ली में आ गए तो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। स्पेशल इन सात सीटों के लिए दिल्ली की सांसद की सात सीटों के लिए क्या कुछ हम करेंगे; उसका ब्यौरा इस कॉपी के अन्दर उन्होंने दिया।

अध्यक्ष महोदय, ये तो थी बीजेपी की बात। अब मैं एक दो मिनट हाउस का और लूँगी। कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट... बीजेपी की सरकार ने जैसे दिए, वैसे ही कांग्रेस ने भी दिए। 1988 में कांग्रेस के एक बहुत प्रसिद्ध और सर्वोपरि नेता मिर्जा सिद्दिकी ने कहा... अध्यक्ष महोदय, दिल्ली

का यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है, इस सदन में मैं पुरुजोर तरीके से सहमत हूँ; दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले; यह दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरत है। दिल्ली समस्याओं से जूझ रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उलझी हुई है। कुछ केन्द्र के अधीन है, कुछ प्रशासन के अधीन है, कुछ कण्टूनमैंट बोर्ड के अधीन है; कहीं सुपर बाजार है; कहीं एमसीडी है। न जाने कितनी सारी बॉडीज बनी हुई हैं।

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए भावना जी, अब हो गया, बस, प्लीज बैठिए।

सुश्री भावना गौड़ः दिल्ली की जनता की सुनवाई हो इसके लिए वो पूर्ण राज्य का दर्जा... ये अध्यक्ष महोदय, ये शीला दीक्षित जी ने अपना घोषणा पत्र इस तरीके से सरमाथे ऊपर चढ़ाकर के मीडिया के माध्यम से जारी किया। ये उसकी कॉपी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बस अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब भावना जी, बैठिए, आप प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ः मैं अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल समाप्त कर रही हूँ अपनी बात को। देखिए, केन्द्र सरकार ने भी वादा किया, बीजेपी ने वादा किया। कांग्रेस ने वादा किया, जब–जब जो–जो सरकार रही, उसने वादा किया। लेकिन इस मुद्दे पर कभी किसी ने कुछ नहीं किया और अध्यक्ष महोदय, एक कवि ने केन्द्र में बैठी हुई सांसदों के लिए दो पंक्तियाँ कही हैं, उसको कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। जो संसद की तरफ उँगली उठाकर कह रहा है यूं, वो संसद की तरफ उँगली उठाकर अपनी बात कह रहा है; यूँ कि यही तो वो पतीली है, यही तो वो पतीली है जिसमें पत्थर उबलते हैं। ये वो सब लोग... वहाँ भी ऐसे ही लोग बैठे हैं लोकसभा

में, जनता के द्वारा चुने गए लोग। लेकिन ये वास्तव में उस पतीली की भांति हमारी संसद बन गई है जिसके अन्दर ऐसे लोग बैठे हैं कि पानी के अन्दर अगर पत्थरों को उबालो तो उसका स्वरूप न बिगड़ेगा, न बनेगा, वो एज इट इज रहेगा। वो जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से संसद में बैठी हुई सारी सरकारें बार बार इस बात को कहती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अरविंद जी से भी निवेदन करूँगी कि अगर ये विपक्ष में बैठे हुए हमारे साथी, अगर हमारे बीजेपी में बैठे हुए साथी और केन्द्र में बैठी हुई सरकार अगर उनको कहीं इस बात का डर है कि पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिलने का सारा का सारा श्रेय आम आदमी पार्टी की सरकार को चला जाएगा तो मैं इस सदन से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली को केन्द्र का, केन्द्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करवाये और हम सब आम आदमी पार्टी के विधायक ढोल बजाकर के उनका गुणगान करेंगे कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संक्षेप में मैं केवल वो बातें इंगित करूँगा जो कि अभी तक चर्चा में नहीं आई हैं। क्योंकि मामला मैं बहुत आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पिछला विधान सभा सत्र, इस दिल्ली विधान सभा का हुआ है, वो एक ऐतिहासिक तौर से उसने भारत के संविधान को, भारत के संविधान में दर्ज संघवाद के मूल्य को बचाने की जिम्मेदारी अपने से ली है और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये विशेष सत्र आज दिल्ली विधान सभा और दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व देने वाले श्री

अरविंद केजरीवाल जी जो पूरे देश के संवैधानिक ढांचे में जो लड़ाई कभी तमिलनाडु लड़ता था, पंजाब से आवाज आती थी, आन्ध्र प्रदेश से आवाज आती थी कि इस देश के अन्दर सभी राज्यों का हर जनता का एक सम्मानजनक स्थान है, वो संघर्ष आज पूरे देश के अन्दर दिल्ली की विधान सभा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी अरविन्द जी के नेतृत्व में कर रही है। ये केवल दिल्ली की जनता के भले का मामला नहीं है। देश के अन्दर लोकतंत्र को और संघवाद को बचाने का मामला है। मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली की जनता के बारे में ये ध्यान दिलाना चाहूँगा; एक तथ्य कि अगर यूनाईटेड नेशन की लिस्ट में 210 से ज्यादा देश हैं, उसमें से अगर दिल्ली को एक देश की तरह कल्पना करें तो 170 देश दिल्ली से कम आबादी के देश हैं। दिल्ली कोई छोटा–मोटा शहर नहीं है। दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ा समाज है। पूरी दुनिया में केवल 40 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि दिल्ली से अधिक जनसंख्या के हैं। अब ऐसी दिल्ली को अगर आप अपनी मुट्ठी में बन्द रखना चाहते हैं। उसको आप कस्बे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसको यूनियन टेरिटरी बनाए रखना चाहते हैं तो आपकी जो राजनीतिक निष्ठा है, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा है जो, वो पूरे देश में चर्चा का सवाल बनेगी। पूरे देश के एक–एक राज्य में, एक–एक राज्य की राजधानी में इस बात का जवाब देना पड़ेगा; किस क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी कहा जाए, किसे राज्य कहा जाए; इसका आधार क्या है?

माननीय महोदय, यूनियन टेरिटरी हम स्टेट रि–ऑर्गनाइजेशन कमीशन के उस सन्दर्भ की तरफ में ले जाता हूँ इसको एक काम–चलाऊ व्यवस्था कही गयी। अपने आप में यूनियन टेरिटरी कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने सवाल आए; कुल ऐसे 11 इलाके थे जिनको

'सी' और 'डी' कटेगरी का राज्य माना जाता था। उनमें से आठ को पड़ोस के किसी राज्य में शामिल कर दिया गया। केवल दिल्ली और अण्डमान निकोबार तथा मणिपुर (उत्तर पूर्व के इलाके) ये तीन इलाके बचे, जिनको कि न तो किसी करीब के राज्य में शामिल किया जा सकता था, न ही उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हर किसी का अलग–अलग सवाल कहा गया और इस बात को स्टेट रि–ऑर्गनाइजेशन कमीशन ने कहा कि ये एक तात्कालिक व्यवस्था है। हमको धीरे–धीरे एक पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था की तरफ बढ़ना है जिसमें कि सबको बराबर अधिकार देना है। ये तात्कालिक व्यवस्था अलग–अलग कारणों से आज तक बनी हुई है और इसका जवाब जो केन्द्र में, ताकत में आने के बाद भारत की जनता, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो जवाबदेह है। आने वाला जो 2019 का लोकसभा चुनाव होगा। उसमें पूरे देश में एक तरफ, पूरे देश में तानाशाही कायम करने वाली ताकतें हैं तो दूसरी तरफ एक संयुक्त विपक्ष की ताकतें उभर रहीं हैं लेकिन इनके बीच भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संघवाद को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहीं है, उस ताकत का नाम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। उस संघर्ष को बढ़ाने का काम दिल्ली विधान सभा कर रही है और ये काम पूरे देश के लोकतांत्रिक ढाँचे को बचाने का काम है।

माननीय महोदय, मैं आपके सामने एक बहुत संक्षिप्त सूची; 1987 तक गोवा भी एक यूनियन टेरिटरी था। इसका कोई आधार नहीं है कि किसी को यूनियन टेरिटरी बनाए रखा जाए। 1986 तक मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी था। हिमाचल प्रदेश 1956 से लेके 1971 तक यूनियन टेरिटरी रखा गया। दिल्ली जो कि 1500 वर्ग किलोमीटर के आकार की है, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी को और एक ऐसी आबादी जो कि हर दस साल में

जिसमें कि 50 प्रतिशत इजाफा हो रहा है; पूरे उत्तर और मध्य भारत के आबादी के अन्दर जो भी नौजवान पढ़ना चाहता है, जो अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहता है, जो रोजगार तलाशता है, वो दिल्ली को अपना घर मान के आता है और दिल्ली अपने बांहों को फेला के उसको स्वीकारती है और आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दिल्ली केवल उन लोगों का नहीं है जो कि कभी सौ साल से दिल्ली में थे। दिल्ली पूरे देश की है और दिल्ली की सरकार पूरे देश के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए काम कर रही है लेकिन उस दिल्ली को, उस दिल्ली के न्यायिक अधिकार को, उस दिल्ली की जनता के एक स्वाभाविक अधिकार को कुचलने का काम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा न देके किया गया है। इस चीज का कही कोई तार्किक आधार हो नहीं सकता। मैं आपको सरकारिया आयोग के माध्यम से और जो राज्य पुनर्गठन आयोग के तर्क क्या दिए गए कि किसी राज्य को आप पूरा राज्य नहीं कहेंगे; इसका आधार क्या होगा। पहला आधार लिया गया कि वो फाईनेन्शियली वॉयबल नहीं होगी। उसको पूरा अपने साधन ही नहीं हैं। आधार ये लिया गया। दिल्ली के मामले में उल्टा है। दिल्ली अपने 92 प्रतिशत खर्च का केवल जो अपने राज्य के अन्दर के जो आधार हैं, वहाँ से अपना व्यय करती है। उसका जो पूरा अपना रेवेन्यू कलेक्शन आता है, उसमें पूरी तरह से 92 परसेन्ट... पूरे देश में स्थिति बिल्कुल उलटी है। तो यहाँ पर वो तर्क लागू ही नहीं होता कि इतनी ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। दूसरा था, सिक्योरिटी कि आप ऐसे बॉर्डर की स्टेट हैं। उत्तर–पूर्व के अशान्त इलाके हैं। वहाँ पर ये तर्क, ये दिल्ली में कोई तर्क लागू नहीं होता और तीसरा जो सबसे महत्वूपर्ण तर्क आज भी दिया जाता है कि ये देश की राजधानी है। एक आब्जर्वर

रिसर्च फाउन्डेशन नाम के एक संस्था ने अध्ययन किया। उन्होंने कहा–लोकतंत्र कहने के बाद भी दिल्ली पूरे दुनिया के बड़े देशों में सर्वाधिक ज्यादा, सबसे ज्यादा संकुचित लोकतंत्र वाली राजधानी बनी हुई हैं जहाँ कि सबसे कम अधिकार दिए गए हैं। इसकी तुलना या तो बीजिंग से की जा सकती है या प्यांगयांग से की जा सकती है; नॉर्थ कोरिया की राजधानी से। बाकी हर राजधानी को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक अधिकार स्वीकार किए गये हैं। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा करने वाला देश ऐसा कर कैसे सकता हैं कि ढ़ाई करोड़ आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों की अवहेलना करें, उसको कुचल के रखे। मैं दिल्ली के अन्दर... पुलिस का सवाल आता है। मैं बताता हूँ आपको वाशिंगटन डी.सी. और कैनबरा, ये दुनिया की दो राजधानियाँ हैं। वो वाशिंगटन डी.सी. तो एक हजार साल पुराना शहर नहीं है। कैनबरा कोई एक हजार साल पुराना शहर नहीं है। दिल्ली राजधानी बनने से पहले से सात बार दिल्ली बनी है और उजड़ी है और फिर से बसी है। दिल्ली एक धड़कता हुआ एक महानगर है। दिल्ली एक ऐसा महासमाज है जिसमें कि पूरे देश के लोगों ने आके इसको रचाया है, बसाया है, सजाया है, संवारा है। इसलिए इसके धड़कते हुए समाज को इसकी उफनती हुई लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को, इसकी लगातार प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। वाशिंगटन डी.सी. में पुलिस वहाँ के स्थानीय निकाय के अन्दर है। दुनिया का सबसे डरा हुआ देश कहलाता है; वाशिंगटन और अमेरिका लेकिन दिल्ली जो कि बिल्कुल दायित्व के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ ये गवर्नेंस हो रही है, यहाँ पर पुलिस को, केन्द्र सरकार के इशारों पर रखना, होम मिनिस्टर के इशारे पर रखना निश्चित रूप से आप लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं। संघवाद विरोधी काम कर रहे हैं। भारत के संविधान की बुनियादी

ढाँचे के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसको माफी मिलेगी नहीं। माननीय महोदय, जब वित्तीय प्रावधानों की तरफ आए। चौदहवें वित्त आयोग ने प्रावधान ये किया कि हम केन्द्र में जो टैक्स कलैक्शन है, उसका 32 प्रतिशत की जगह 42 प्रतिशत राज्यों के ऊपर में खर्च करेंगे। वहाँ के फाइनेन्स कमीशन 15वें के जो टी.ओ.आर. है, टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है, उसमें यूनियन टेरिटरी का जिक्र सब–क्लॉज–दो में है, क्लॉज–तीन के जो राज्य हैं, उनका जिक्र सब क्लॉज–तीन में है। दिल्ली का जिक्र उसमें पूरे में नहीं है। ये दिल्ली किस तरह से, किस गलती की सजा भुगत रही है, वो कौन से अपराध हैं जिसकी सजा दिल्ली को दी जा रही है। इसका जवाब उन सारी केन्द्र की सत्ता को, उन सारी रंग बदलने वाली पार्टियों को देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता सड़क पर उतर के अपने घरों से बाहर निकलकर, अपने मकानों से बाहर निकलकर इस विधान सभा में सवाल पूछेगी। संसद में हमारे सांसद गण सवाल पूछेंगे। दिल्ली की जनता सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। ये पूरे दिल्ली की जनता को सिविल नाफरमानी की तरफ न धकेला जाए। उनको अपनी इस कष्ट से जूझने के बीच वो अपने आन्दोलनों की तरह न धकेला जाए। आज स्थिति ये बना दी गयी है कि दिल्ली के नागरिक के दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और जब हम दिल्ली के नागरिक की बात कह रहे हैं तो पूरे उत्तर और मध्य भारत के नौजवान जब आते हैं... वो मरीज आते हैं जो कि दिल्ली के अच्छे अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, उनको आपने दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। दिल्ली की सरकार के हाथ बाँध दिए गए हैं। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए, दिल्ली की सरकार को मिलनी चाहिए, उसको कुचला जा रहा है। मैं अंतिम बात केवल कुछ जो एक फिस्कल फैडरलिज्म है, जो वित्तीय संघवाद है, उसका मैं ध्यान दिलाना

चाहूँगा कि आज खतरा किस बात का है। दिल्ली इस केन्द्र की सत्ता, बीजेपी की आँखों में किरकिरी क्यों है क्योंकि इस देश के अंदर दो मॉडल चल रहे हैं; एक मॉडल वो है जिसको कि हम मोदी जी, अडाणी जी, अम्बानी जी, अमित शाह जी का यह गठजोड़ है जिसमें कि आप दस हजार, बारह हजार करोड़ लेकर भाग सकते हैं, आपको छूट हो सकती है और एक दूसरा मॉडल यह है जिसमें कि किसान की इज्जत है, उसको सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया है, जहाँ सबसे ज्यादा वेतन श्रमिक वर्ग को, असंगठित वर्ग के मजदूर को दिया गया है, जहाँ कि पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल प्रतिष्ठा के विषय बन रहे हैं, जहाँ अस्पतालों के अंदर गैस खत्म होने से, ऑक्सीजन खत्म होने से बच्चे मारे जा रहे हैं और दिल्ली में पूरे उत्तर और मध्य भारत के लोग जब दुःखी होते हैं तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों का रुख करते हैं। यहाँ आते हैं अपने जीवन को बचाते हैं और धन्यवाद देकर वापस जाते हैं। आज उस मॉडल को जिस मॉडल में आम जनता केन्द्र में आ गई है, आम नौजवान केन्द्र में आ गया है, राजनीति आम जनता की नीड़ की, उसकी जड़ों के पीछे–पीछे चलने लगी है, एक नया मॉडल उभर रहा है और यह जो बीजेपी पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली, सेठों के इशारे पर चलने वाली, चंद महा–कुबेर जो लोग हैं, उनके इशारे पर, उनको राजनीति जब गिरवी रख दी गई है, उसको सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर यह दिल्ली का मॉडल खुलकर पूरे देश और दुनिया के सामने आता है तो देश का भविष्य बिल्कुल उस रास्ते पर जाएगा जिस रास्ते पर आज दिल्ली के अंदर एक सरकार जा रही है। जिस तरह से आज दिल्ली की जनता राहत महसूस कर रही है पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है या पूरे देश के अंदर वो संदेश जा रहा है; इसको कुचलने की कोशिश है, इसलिए यह मुद्दा केवल दिल्ली की जनता के भले का नहीं, पूरे देश का है।

दिल्ली एक ऐसी पुलिस के अंदर है, जिसकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। आज 66 हजार पद खाली दिल्ली पुलिस में हैं। इसी विधान सभा में सवाल पूछा गया कि कितनी आबादी है, कितनी दिल्ली में पुलिस है। यह पूछा गया कि दिल्ली के पुलिसकर्मी को कितनी राहत मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है, सोने का कितना समय मिलता है। इस विधान सभा में उसका जवाब नहीं दिया गया क्योंकि यह विधान सभा दिल्ली के एक–एक पुलिस सिपाही के प्रति अपना फर्ज मानती है, उसको अपना बेटा, अपना भाई, अपनी बहन मानती है क्योंकि दिल्ली विधान सभा दिल्ली की जनता का भी फर्ज मानती है, दिल्ली के पुलिस सिपाही के प्रति भी फर्ज मानती है और उस फर्ज को निभाना चाहती है लेकिन वो राजाशाही, वो सामंतशाही जो कि दिल्ली के पुलिसकर्मियों का अपमान करती है, अपने पीछे बीस–बीस गाड़ियाँ उनको लेकर चलती है, उनकी रखवाली में चलती है तो दिल्ली में हमको एक पुलिस रिफॉर्म भी चाहिए। हम दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को नई दिल्ली के क्षेत्र, लुटियन का इलाका, जो एकदम राजा लोगों का इलाका है, उसकी देखभाल कर लें आप। उसके लिए एक अलग पुलिस बना लें, अलग व्यवस्था बना ले लेकिन यमुनापार का इलाका, देहात का इलाका जो पूरे दिल्ली के कटरों में रहने वाली आबादी है, दिल्ली की जो 70 प्रतिशत किराये के घरों में, छोटे–छोटे घरों में लोग रहते हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं। यहाँ की दलित छोटी–छोटी बस्तियाँ, इसी देश के बराबर के नागरिक हैं, उनके अधिकारों को नहीं कुचला जा सकता। दिल्ली की ऐसी पुलिस चाहिए जो दिल्ली के कटरों के प्रति, छोटी–छोटी बस्तियों के प्रति, दिल्ली के दलितों के प्रति, दिल्ली के नौजवानों के प्रति, दिल्ली की छोटी–छोटी बेटियों और बहनों के प्रति जवाबदेह हो, ऐसी पुलिस व्यवस्था चाहिए और ऐसी पुलिस व्यवस्था उस मॉडल पर व्यवस्था बनेगी जिस मॉडल

को आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने आगे बढ़ाया है कि पूरी पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। आखिरी बात कहकर मैं खत्म कर देता हूँ, माननीय महोदय।

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः दिल्ली का जो फर्ज है, उसको निभाने के लिए पूरी तैयार है आज पूर्ण राज्य का जो आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी की अपील से, एकदम दिल्ली की जनता की आवाज बनकर धड़क रहा है, उसको दिल्ली की विधान सभा आगे बढ़ाएगी, दिल्ली की सड़कों पर आगे बढ़ेगी और यह दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र, पूरे देश के संघवाद, पूरे देश के संवैधानिक ढाँचे के लिए बहुत शुभ घटना होगी और बहुत सम्मान के साथ सारे अधिकारियों, एलजी महोदय को यह कह देना चाहता हूँ कि वो भारत के लोकतंत्र जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, वो इसमें रोकेंगे, वो अड़चन लगाएंगे तो अड़चन लगाकर भी हमारा भला करेंगे, हमारी ताकत को, हमारी एकता को, हमारी पूरी सामूहिकता को बढ़ाएंगे लेकिन न्याय ही कायम होगा, सच्चाई ही जीतेगी, लोगों के अधिकार ही जीतेंगे, भारत का संविधान जिंदाबाद रहेगा, भारत का संघवाद ज़िंदा रहेगा, भारत के हर राज्य के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। भारत के और दिल्ली के, भारत के दिल में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाली ढ़ाई करोड़ जनता अपने संघर्षों के लिए आगे बढ़ेगी और जीतेगी। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री सुखवीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं; बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसके बारे में मैं भी दो चार बातें आपके सामने रख रहा हूँ।

अध्यक्ष जी, आज दिल्ली में दिल्ली सरकार है, लेकिन इस सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। आज यह सरकार आदेश देने वाली सरकार नहीं है बल्कि हर जगह प्रार्थना करने वाली सरकार बन कर रह गई है जबकि किसी भी राज्य की तुलना की जाए तो हम देखते हैं, सरकार एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें जनप्रतिनिधि होते हैं लेकिन दिल्ली की सरकार को एक कुछ तत्वों ने शुरू से ही ऐसा पंगु बना दिया है, शायद इसकी ताकत हम पिछले बीस साल से देख रहे थे आज उसकी दस परसेंट भी नहीं है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी के नेतृत्व में, फिर भी दिल्ली के जितने प्रतिनिधि हैं, वो दस परसेंट की ताकत में भी इतना काम करते हैं बेहद ज्यादा, अगर इस दिल्ली के पास पूरी ताकत हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसके विकास में दस गुणा तरक्की होगी। आज दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में नए शिक्षा संस्थान, कोई जमीन अधिग्रहण करके, पॉवर केन्द्र के पास है लेकिन वह सरकार सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सकती क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके पास ही है। इस सरकार की घर तक, जहाँ अपनी सेवा की हम जो डिलिवरी देना चाहते हैं, वो छोटे–छोटे काम भी एलजी हमारी पॉवर न होने से, पूर्ण राज्य का दर्जा न होने से, वो रोक देते हैं और लोग उससे वंचित हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ अफसर यह कहकर सरकार के आदेश मानने से इंकार कर देते हैं, ''साहब, हम तो एलजी साहब के अंडर काम करते हैं। हम आपके प्रति जवाबदेह नहीं हैं, न जनता के प्रति हैं। यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई भी दिल्ली का नहीं हो सकता जो आज पूरे उसमें इतना वो चल रहा है। इसी के साथ मैं आपको दो–तीन–चार बातें बताता हूँ। सरकार को तो छोड़िए यहाँ जनता के पास भी अपना अधिकार नहीं है। दूसरे राज्य की तरह दिल्ली के अपने ही राज्य में कोई वरीयता

नहीं दी जाती, जिस कारण हर दिल्लीवासी अपने आपको ठगा सा महसूस करता है। दिल्ली के हर नागरिक को, जो साथ के राज्य है, उनमें अपने आपको इतना महसूस करता है उनके जनप्रतिनिधि के पास उसकी वोट का कई गुणा अधिकार है। लेकिन दिल्ली वालों के पास बिल्कुल भी नहीं है। यह सब दिल्ली के पूर्ण राज्य न होने की वजह से है। इसका आज सदन में बोलते हुए मुझे उन आदरणीय दिल्ली के प्रतिनिधियों की याद आ रही है, जिन्होंने इस सदन में खड़े होकर जनता के लिए दिल्ली के पूर्ण राज्य की माँग उठाई। इनमें दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री श्री ब्रह्म प्रकाश जी, कांग्रेस से लेकर कालका दास व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी का नाम लिया जाता है। इसी के साथ आज इन महान लोगों की आत्माएं यह देखकर रो रही होंगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इनके सपनों और प्रयासों को जनता के विश्वास को आज केन्द्र में बैठी सरकार किस तरह राजनीतिक फायदे के लिए अपने पैरों तले कुचल रही है; एक सपना जो दिल्ली की आत्मा की पुकार है, एक सपना जो दिल्ली की जरूरत है, उसका अधिकार है। आज इस सपने को साकार करने का बीड़ा जनता के बेटे अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, लेकिन विडम्बना देखिए, कि भाजपा जैसे कुछ लोगों के राजनीतिक जन सेवा नहीं बल्कि साम, दाम, दण्ड, भेद से कुर्सी पाने का हक है और इसके लिए वो अपने ही नेताओं को भूल जाते हैं जिन्होंने जन सेवा को अपना धर्म मानते हुए जनता की पुकार को अपना लक्ष्य बनाया था। लेकिन आज केन्द्र ने दिल्ली में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी है। एक ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता की सुनते हैं दूसरे, एलजी साहब मोदी साहब की सुनते हैं और वो जो सुनते हैं, वो जगजाहिर है। चाहे फिर मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा हो, सीसीटीवी का मुद्दा हो या फिर जन लोकपाल का मुद्दा हो। हर मुद्दे

पर केन्द्र में बैठी सरकार आज जनता के अधिकारों को कुचलते हुए दिल्ली की सत्ता में अपनी पार्टी स्थापित करना चाहती है। आज मैं पूछना चाहूँगा दिल्ली से भाजपा के राज्य सभा सांसद व मोदी सरकार के विजय गोयल जी आज उनका ध्यान लगाये बैठे हैं।

आज जनता उनसे पूछ रही है, ''क्या हुआ उनके उस भाषण का, जो उन्होंने गोवा में 2013 में दिल्ली चुनाव से पहले दिया था और जिसमें उन्होंने नारा लगाया था– ***"Delhi growth is restricted in absence of full statehood and Congress has done nothing during last 14 years on this issue?"*** साहब, आज तो आपकी सरकार केन्द्र में है और गोयल साहब भी केन्द्र में मंत्री हैं लेकिन एलजी साहब भी आपके पास हैं फिर आज दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में क्या हर्ज है? लेकिन इसी के साथ विजय मल्होत्रा जी, बीजेपी उन्होंने भी इस विधानसभा में कहा था, ***"BJP has demanding the full statehood for Delhi for decades."*** क्या कहा, केन्द्र में गाँवों में केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन जिन्होंने पूर्ण राज्य के मुद्दे को साथ लेकर 20 वर्ष से भी ज्यादा विधायक रहे लेकिन आज केन्द्र में मंत्री बनने के बाद वो सब भूल गये हैं। पतली गली से निकल जाते हैं सब। 2013 में दिल्ली विधानसभा उप–चुनाव में पहले ये हर्षवर्धन ही थे जिन्होंने कुर्सी पाने के लिए दिल्ली की जनता को दिल्ली राज्य दिलाने का वादा किया था लेकिन 2013 की विधानसभा घोषणा–पत्र में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कहा था, ***"We will continue our struggle for full statehood for Delhi."*** आज किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं? आज हमारी लड़ाई उन्हीं आदमियों से है जिन्होंने 2013 तक इस दिल्ली की जनता को गुमराह किया लेकिन 2015 में आते आते जब अरविंद जी की सरकार आई तब वो ये सारे वादे भूल गये। आम आदमी की सरकार तैयार है साहब अगर स्ट्रगल पूरी हो गई हो तो आप

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश हमारे साथ करें तो हम मान जाएंगे के भई, भाजपा में भी इसमें वो करें लेकिन ये तो दिल्ली के महान सपूत जिन्होंने बड़ी लड़ाई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए की जनहित के लिए नहीं, बल्कि अपने पदों के लिए की थी। आज वे उस पद पर बैठे हैं। दिल्ली के सातों सांसद आज तक उन्होंने दिल्ली के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई है कि भई दिल्ली वाले भी कुछ हैं। लेकिन अब वो लोगों से मिलने के बाद कहते हैं कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी नोटंकी कर रहे हैं। वो दिल्ली का दर्जा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे लेकिन मैं उन सपूतों से पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी का लोकसभा घोषणा–पत्र जिसमें उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा किया था जिसे देखकर जनता ने उनको सभी सीटें दी थी। शर्म आती है, ऐसे प्रतिनिधि और पार्टियों का नाम लेते हुए जिन्होंने केवल सत्ता के लिए बार बार झूठ और फरेब बोला है।

इसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, उस जनता के बेटे अरविंद केजरीवाल! आगे आओ करें जनता और महान आत्माओं का सपना साकार, देकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार। मैं अरविंद जी को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और दिल्ली की जनता अब घर–घर में ये तकरार होने लगी है; जहाँ गाँव में पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में जानते भी नहीं थे, अब लोग वो भी तकरार करने लगे कि भई पूर्ण राज्य का दर्जा क्या होता है। जब उनको बताया गया कि आपके वोट के अधिकार का कोई वैल्यू नहीं है दूसरे राज्यों के जैसे जिससे अरविंद जी को काम करने में दिक्कत आ रही है। यही पूर्ण राज्य का अधिकार है, अगर ये मिल जाता है तो आपका गाँव आज वो मॉडल गाँव बनेगा उसी के साथ मैं जो ब्रह्मप्रकाश जी के... जी, मैं गाँव से बिलांग करता हूँ। उन्होंने

अपनी स्पीच में आज से 50 साल पहले ये बोला था जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़के सुनाना चाह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर यहाँ कोई डेमोक्रेसी डेवलप होनी है या हो सकती है तो इस हाउस में रिप्रजेन्टेटिव के द्वारा ही हो सकती है। लेकिन कुछ तरह की कंट्रोल हो जाए गवर्नमैंट आफ इंडिया का यहाँ पर जो तकरीर हम सबसे पूछ रहे हैं; यह जो पैसा खर्च होता है, वो सब इस दिल्ली की जनता के प्रतिनिधियों से पूछकर खर्चा किया जाए; इसी का नाम असली डेमोक्रेसी होता है। जहाँ तक हाउस का ताल्लुक है ये एक सुप्रीम हाउस है जिसके ऊपर स्पीकर हैं। यहाँ पर जो भी बात कही जाती है, वो पब्लिक की आवाज होती है। आप किसी भी एक डिपार्टमैंट को चुन लें; उसके साथ लेजिस्लेचर को लीजिए, आखिर लड़ते लड़ते आजादी मिल ही गई और उस बुनियाद यही है कि डेमोक्रेसी मिले और डेमोक्रेसी मीन्स है – रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। रिस्पांसिबल गवर्नमैंट जब तक नहीं हो सकती, जब तक उसके पास लेजिस्लेचर न हो। आप उस काम में करने वाले आदमियों को भले ही मिनिस्टर न कहें क्योंकि उनके नाम से पब्लिक को चिढ़ हो गई है, आप उनको कुछ भी न दीजिए। उनको तनखाह मत दीजिए, कार मत दीजिए, कोठी मत दीजिए लेकिन उनको कानून बनाने की ताकत तो कम से कम दीजिए और उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कानून बनाने की ताकत को... उनके एक्जीक्यूट करने की ताकत भी होनी चाहिए, यह बात आज से 50 साल पहले चौ. ब्रह्मप्रकाश जी ने अपने भाषण में जब दिल्ली का दर्जा छीना गया था, उस समय जनता के सामने इस हाउस में ही रखी थी। लेकिन वही आदमी आज जो उसकी प्रतिमा लगाने का सपना लेकर आये थे, जिसकी सौंवी वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, उसमें भाजपा भी शामिल थी। वो मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जिन्होंने यहाँ कसम खाई थी और गाँव में जा जाकर लोगों

को ये कह रहे थे कि मैं आपका सपना साकार करूँगा और ब्रह्मप्रकाश की जो इसका सपना जो लोग साकार करने के लिए आवाज उठा रहे थे, आज उसकी सौंवी वर्षगांठ है लेकिन उसका पुत्र जो आज दिल्ली की लोकसभा से हमारे पश्चिमी दिल्ली से बढ़कर गया हुआ है, उसने अपने बाप की यादों का भी नहीं पता। उन्होंने ब्रह्मप्रकाश के लिए क्या वचन दिया था और दिल्ली की जनता क्या चाह रही है लेकिन वहाँ वो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है। उसने एक बार भी दिल्ली के आदमियों की आवाज नहीं उठाई।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलालः इसी के साथ अध्यक्ष जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम अरविंद जी को ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और पूरी दिल्ली की जनता का जबसे पेपर में कल से आया है; मैं कहता हूँ गली गली में चर्चा हो चुकी है कि भई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलकर रहेगा और लेकर रहेंगे। जब तक ये विधान सभा की आवाज सड़कों पर नहीं जाएगी... जब तक हम नहीं करते मैं सभी अपने विधायकों से प्रार्थना करूँगा के बस पूरी गली मोहल्ले में जाकर इसका वो करें जिससे हम इसको अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे और इसी के साथ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने एक ऐतिहासिक विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैंने न्यूज में पढ़ा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बीमार हैं; एम्स में भर्ती कराया गया है। आज वैसे भी उनकी याद बहुत ज्यादा आ रही है जो आज का माहौल

है। जिस तरीके से विपक्ष के साथ में उनका व्यवहार था क्योंकि कल जो शीला दीक्षित जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 10–15 साल हमने बहुत अच्छी सरकार बिना झगड़े के चलाई। 10 साल तो केन्द्र में भी उन्हीं की सरकार थी और पाँच साल जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी और विपक्ष का कैसे सम्मान किया जाता है, विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता का कैसे सम्मान किया जाता है और जब आप सत्ता में हों तो विपक्ष का कैसे सम्मान किया जाता है। ये मैं चाहता था कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जरूर सीखें अटल बिहारी वाजपेयी जी से। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर वापस लौटें। अध्यक्ष जी, जो हम बार–बार बात कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य दरअसल है क्या? अब से पहले जब हिंदुस्तान की आजादी की बात होती थी, उस वक्त का भी एक माहौल था और उस वक्त के जो राजा थे, शासक थे जो अंग्रेज थे, उनका ये मानना था कि ये इस लायक नहीं हैं कि इनको शासन दे दिया जाए। ये लड़ पड़ेंगे, ये झगड़ा करेंगे, अपनी छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे और कुछ–कुछ अगर आप अंग्रेजों को हटाकर आज की केन्द्र की सरकार को रखें तो आपको बिलकुल ऐसा लगेगा कि बिलकुल वही चीजें लगातार होती जा रही हैं। बिलकुल से वही बातें करना कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए। वही अंग्रेज कहा करते थे और वही ये कह रहे हैं। मजेदार बात है कि आजादी से पहले हिंदुस्तान के पूर्ण स्वराज्य का जो विरोध किया करते थे, उस पर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग थे और जो उसका पक्ष रखा करते थे जो उसके पक्ष में थे, वो सुभाषचंद्र बोस जैसे लोग थे। अब या तो दिल्ली में विपक्ष में बैठी हुई पार्टी और केन्द्र में सत्ता में बैठी हुई पार्टी ये सोच ले, विचार कर ले, मन पक्का कर ले कि वो किसकी सोच के साथ में रहना चाहती है; मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में या सुभाषचंद्र बोस के साथ में। बहुत पहले जब पहली बार पूर्ण स्वराज

की बात हुई तो हसरत मोहानी जी जिन्होंने ये नारा दिया पूर्ण स्वराज का 1921 के अंदर बहुत बाद में उसके ऊपर रेजल्यूशन पास हुआ; 1929 में लेकिन हसरत मोहानी जी ने इसके लिए बात करी कि पूर्ण स्वराज चाहिए क्योंकि आजादी सिर्फ बोलने की, सुनने की आजादी का असली अर्थ है क्या? आजादी का सबसे असली अर्थ है–सम्मान, अपना होना, अपना देश, अपने लोग जो हमारे पर राज करते हैं, जो हमारी बातों को सुनते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे मेन कोर वही है कि जो लोग हमारे जन प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम चुनकर भेजे हैं, वो हमारी बातों को समझें। वो उस तरीके से काम करें। अगर उस तरीके से काम नहीं करते हैं तो पाँच साल बाद उन्हें हटा दिया जाए। और बिल्कुल सेम कहानी जो अंग्रेज हिन्दुस्तान के साथ में कर रहे थे, आज केन्द्र की सरकार आज हमारे साथ में कर रही है। पूरा हिन्दुस्तान आजाद हो गया। दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए लेकिन दुनिया के बहुत सारे बड़े–बड़े देशों के अंदर एक छोटी सी जगह एक प्यार की जगह है जो दस बार बनी और तोड़ी गई; मेरी प्यारी दिल्ली, वो आजाद नहीं हो सकी। वो आज भी उसी गुलामी के अंदर है। न आर्थिक आजादी है, न कानून बनाने की आजादी है, न कहने सुनने की आजादी छोड़ना चाहते हैं। आज भी दिल्ली का वो ही हाल है जो गौरे अंग्रेज कर रहे थे, वो ही काले अंग्रेजों ने... वो ही काम कर दिया। बार–बार हम सोचते हैं कि किस लिए ये विधान सभा बनाई, किस लिए? ये विधायक किस लिए हैं, किस लिए? हम क्या करने के लिए बने हुए हैं, हमारा काम क्या है यहाँ पर? लेकिन बार–बार क्योंकि इन्हों की सोच ये ही है कि इनको तकलीफ होती है, शायद बाबा साहब के नाम से भी कि बाबा साहब ने संविधान को बनाया है। तो उसके छर्रे–छर्रे उड़ाना चाहते हैं। हरेक उस चीज के अदंर कमी निकालना, उसका दुरुपयोग करना ये केन्द्रीय सरकार का काम बन गया है। दिल्ली की अगर आप जनसंख्या को देखें तो अध्यक्ष

जी, तो बहुत सारे देशों से ज्यादा हो जाएगी। और इतने बड़े देश को चलाने के लिए 70 विधायक भी कम पड़ रहे हैं इस दिल्ली को इस राज्य को, इसको एक एलजी साहब चलाना चाहते हैं। मैने पहले भी इसी विधान सभा से कहा था कि अनिल बैजल साहब दिल्ली बे–जल है। दिल्ली में पानी नहीं था। कैसे–कैसे प्रयास करके दिल्ली में पानी लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट मैने पढ़ा था कि हरियाणा सरकार को चिट्ठी भी गई है और केन्द्र सरकार से बात की है कि दिल्ली में पानी आ जाए, बस इतना। दिल्ली की जो सबसे बेसिक जरूरत है, उसके ऊपर काम न करना क्योंकि वो दिल्ली के जो लोग, जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायक बैठे हुए है; आज भी इनके यहाँ पर कइयों के यहाँ प्रदर्शन हो जाता है, क्योंकि हरियाणा पानी नहीं दे रहा और अनिल बैजल साहब जो हमारे एलजी साहब हैं, न तो हरियाणा के लोगों को यहाँ बुलाते, सीएस साहब को यहाँ नहीं बुलाते, खुद वहाँ नहीं जाते कि बने कि भई दिल्ली में इतनी परेशानी किस लिए है। क्योंकि उनको परेशानी है नहीं, जनता उनके पास तो जाती नहीं। जनता आपके विधायकों के पास जनता आती है, मुख्य मंत्री जी के पास में। जो चुना हुआ है, जिसको चुना गया है। लेकिन जिसको जनता ने चुना है, उसको कोई नहीं सुन रहा है जिसको केन्द्र सरकार ने चुना है। जो सैलेक्टिड है, इलैक्टिड नहीं है, उसकी सरकार यहाँ पर चल रही है। मैं कुछ बातों को और यहाँ पर रखना चाहता हूँ; गांधी जी ने स्वराज के बारे में क्या कहा है, मैं दोहराना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, स्वराज एक पवित्र शब्द है, जिसका अर्थ है शिवशासन। जिसका अर्थ सब प्रकार के संयमों से मुक्ति नहीं है। जैसे प्रायः स्वाधीनता का अर्थ लगाया जाता है। पूर्ण स्वराज यानी अपने सर्वाधिक दीन–हीन देशवासियों की स्वतन्त्रता। मैं भारत को सभी प्रतंत्रताओं से मुक्त करने के

लिए कटिबद्ध हूँ। मुझे शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की इच्छा नहीं है। ये ही तो डेमोक्रेसी थी कि एक अंग्रेज को हटाकर आपने काले अंग्रेज को बैठा दिया। ये थोड़े ही चाहते थे; हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो स्वतन्त्रता सेनानी थे। स्वराज से तात्पर्य मेरी भारत सरकार से है जो देश की व्यस्क जनसंख्या की बहुमत की राय से कायम हो। व्यस्कों में स्त्री अथवा पुरूष अथवा जन्मे तथा बाहर से आकर बसे वो लोग सम्मिलित होंगे जिन्होंने राज्य की सेवा में किसी प्रकार का श्रम दान किया होगा तथा मतदाता के रूप में अपने नाम को पंजीकृत कराने का कष्ट उठाया होगा। बिल्कुल क्लीयर कट है कि लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई। गांधी जी ने इस बात को इतने पहले लिखा है कि सच्चा स्वराज मुठ्ठी भर लोगों द्वारा सत्ता प्राप्ति से नही आएगा। वो एक एलजी साहब को एक बढ़िया सा बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, उससे नहीं आएगा बल्कि सत्ता का दुरुपयोग करने की जनता के काम से विकसित होने से आएगा। स्वराज जनता को सत्ता का नियमन तथा नियन्त्रित करने की अपनी क्षमता का विकास करने की शिक्षा देने से आएगा। स्वराज का अर्थ है सरकार के नियन्त्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास। स्वराज किसी जातिगत, धार्मिक भेदभाव को नहीं मानता। स्वराज सभी का होगा पर इसमें मेहनतकश करोड़ो भारतवासी शामिल हों। जो स्वराज जनता के लिए सबसे कमजोर वर्ग के लिए था, वो सत्ता आज सबसे ताकतवर लोगों के लिए बन गई है कि सत्ता का सुख भोगें और देश की जनता की कोई बात न सोचें। बाल गंगाधर हम सबने ये नाम सुना है। एक बहुत... आज जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छी चीज मिल गई। जब अंग्रेज थे, वो उनको कहते थे कि भारतीय अशान्ति के पिता। भारतीय अशान्ति के पिता और ये शब्द थोडा सा मैं अंग्रेजी में अनुवाद करके रोज हमारे बीजेपी के साथी अरविंद जी के लिए कहते

हैं। अनार्किस्ट। जितने भी लोग गरीबों के लिए पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए दलितों के लिए काम करेंगे, इनको अनार्किस्ट कहेंगे। लेकिन देश की जनता ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा? लोकमान्य। और वो ही अरविंद जी के लिए दिल्ली की जनता कहती है कि लोकमान्य; सबके प्रिय जो हमारे नेता हैं। आज जो हालात दिल्ली की बन गई है, मेरे साथियों ने उसके ऊपर बहुत विस्तृत तौर पर बातें की कि हमारे को छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ रही है। दिल्ली की जो 70 सालों की प्रॉब्लम है; आप भी एक विधायक हैं, आप जानते हैं कि जो मल्टीपल एजेन्सीज हैं। आज एक नाली को देखने के लिए जाते हैं तो एक नाली एमसीडी की है, घूमकर पीडब्ल्युडी में चली जाती है, कहीं डीडीए में चली जाती है। एक विधायक को पता करना मुश्किल हो जाता है। आम जनता उससे कितनी ग्रसित है। एमसीडी के ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं। अगर आज अभी एक हफ्ते पहले वजीरपुर विधान सभा के अंदर एक मर्डर हो गया। हम पुलिस से दबाव देकर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भई, इसको देख लो। लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसका काम नहीं करा सकते। पकड़े या न पकड़े। चोरी बढती जा रही है। हम कुछ नहीं कर सकते। आज हालात दिल्ली के बिल्कुल ऐसे ही हैं जो आज से 70–80 साल पहले हिन्दुस्तान के हुआ करते थे। सिर्फ दिल्ली को आजादी दिलाने के लिए मुझे यह कहना होगा कि जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के विधायक हैं, दिल्ली के मंत्री है और मैं तो कहता हूँ कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो भी जिनकी एक भी सीट नहीं आई, वो भी इस बात को समझें कि क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी इस बात को रखा था, वे इस बात को समझें कि सबको एक होना होगा। जो लोग दिल्ली में पैदा हुए हैं; श्रम दान करते हैं, दिल्ली में जिन्होंने शिक्षा ली है, उनको

मानना होगा कि ये जिस तरीक से उस वक्त कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, उसी तरह से आज हम सबको को कहना होगा। मैं यहाँ से खड़े होकर कहता हूँ कि ये दिल्ली का पूर्ण राज्य लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सत्येन्द्र जैन जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ देशों के नाम ले रहा हूँ। रोमानिया, जिम्बावे, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्वीडन, हंगरी, आस्ट्रिया, सिंगापुर, ये सारे देश है जिनके नाम सुने हुए हैं। इन्हीं की तरह से दो सौ से ज्यादा और भी हैं जिनके नाम नहीं सुने हुए है। इन सारे देशों में कॉमन चीज क्या है? सारे के सारे देशों में कॉमन ये है कि जो जनसंख्या है, वह दिल्ली से कम है। सबकी जनसंख्या दिल्ली से कम है। सारे के सारे देशों की दो सौ देशों की जनसंख्या वर्ल्ड के अंदर दिल्ली से कम है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य कहते हैं; जनता कि इच्छा। विल ऑफ द पीपल। कोई राज्य, कोई जमीन नहीं है। अगर जमीन को राज्य कहते तो जमीनें तो बहुत जगह है। और कालोनी किसे कहते हैं? कालोनी कहते हैं जो किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। उस जनता की विल नहीं चलेगी वहाँ पर किसी और की विल चलेगी। जैसे देश हिन्दुस्तान 1947 से पहले एक कॉलोनी था। अंग्रेजों का राज चलता था यहाँ पर। हिन्दुस्तान के लोगों की विल नहीं चला करती थी। आज पूरे देश के अंदर हम पूरे देश को भारत देश को राज्य कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। दिल्ली को न राज्य कह सकते, न देश का पार्ट कह सकते हैं। यहाँ पर जनता विल नहीं चलती है। यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की विल चलती है। किसी एक आदमी की विल चलती है। जनता की कोई विल नहीं चलती।

मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। देश के अंदर ग्यारह राज्य पूर्ण राज्य ऐसे राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या दिल्ली से कहीं कम है और वो पूर्ण राज्य हैं।

गोवा की बात करी आपने। 1987 से पहले वो भी एक यूनियन टैरिटरी था। गोवा की आबादी है 15 लाख और दिल्ली की आबादी दो करोड़। दिल्ली में हर रोज एक करोड़ लोग एक्स्ट्रा आते हैं; बाहर से आते हैं, जाते हैं। कोई काम के लिए आता है, कोई इलाज के लिए आता है, कोई शिक्षा के लिए आता है। अलग–अलग कामों से आते है। गोवा में तो 15 लाख की आबादी है। ज्यादा... एक लाख और आते होंगे। गोवा को पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है, दिल्ली को नहीं बनाया जा सकता। ये सोच से परे है। कहते है कि भई, दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य बना दिया तो कोई भूकम्प आ जाएगा जैसे! आप एक चीज बताइए कि दिल्ली को जो लोग 20 साल से देख रहे हैं, 30 साल से देख रहे है, 40 साल से देख रहे हैं। समय के दौरान आप देखिएगा कि कितनी सारी असेम्बली ऐसी हैं अगर वहाँ पर घूम जाएं, किसी देश की राजधानी कहना तो मुश्किल है कि हमारे गाँव से भी बदतर हालत है। दिल्ली को डीडीए को दिया गया, 1962 के अंदर, जो मास्टर प्लान डीडीए बनाएगा। दिल्ली का डेवलपमैंट करेगा, डीडीए करेगा। उसका नाम है–दिल्ली विकास प्राधिकरण। सबको पता है उसने विनाश प्राधिकरण का काम किया है। दिल्ली का विकास नहीं किया। इस दिल्ली की 70 परसेंट आबादी, 70 परसेंट आबादी अनऑथोराइज्ड कालोनीज में रह रही है, गाँव में रह रही है और वहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं दी गई। दिल्ली सरकार देने की कोशिश कर रही है, तो उसके कामों में हर रोज अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार उनको रेगूलराइज करना चाहती है तो केन्द्र सरकार कहती है, ''नहीं करने देंगे।'' अब एक चीज बताइए छोटी सी दिल्ली डेवलपमैंट आथोरिटी ने बिल्डिंग बायलॉज बना दिये

कि जी, पूरी दिल्ली के अंदर बायलॉज बनेंगे। और बायलॉज के अंदर क्या होगा कि आपको चार मंजिल अलाउड है जी, और घर के अंदर चार कारों की पार्किंग बनानी है। इमरान हुसैन जी बैठे हैं। अगर उनकी गली के अंदर कार चली जाए तो वहाँ पर पार्किंग चार मंजिल के वो करेगा भी नहीं। वहीं बायलॉज गाँव के अंदर बना दिये इन्होंने और सेम बायलॉज कहते हैं, अनआथोराइज्ड कालोनी में भी चलेंगे और वो ही कोठियों में चलेंगे। ये तो कमाल ही हो गया! मतलब ये समझ से बाहर है कि क्या लोग अपने एयर कंडीशंड दफ्तर के अंदर बैठे हुए पता नहीं क्या कर... क्यों, जनता से कोई लिंक ही नहीं है। राज्य का यही फर्क है। विल ऑफ द पीपल, जनता की क्या डिमांड है, जनता को क्या चाहिए, वो जनता की बात जनता राज करना चाहती है। जनता आती किसके पास आती है? जनता अपने विधायक के पास जाती है। जनता अपने मुख्य मंत्री के पास आती है। जनता कहती है कि हमारे को ये समस्या है। उस समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं। जनता इन अफसरों के पास नहीं जाती। दिल्ली को अफसरों ने और कुछ केन्द्र के नेताओं ने मिल के अपनी एक कालोनी बना रखा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं— कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले कम से कम 30—40 साल से जब भी वोटिंग माँगने जाते हैं, कहते हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। 30—40 तो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो 1950 से चल रही है ये बात। इलैक्शन में जाते हैं, कहते हैं, ''हम पूर्ण राज्य बनाएंगे।'' कैसे बनाओगे? ''जी, हमारी केन्द्र में सरकार बनवा दो, हम पूर्ण राज्य बना देंगे।'' जनता ने सोचा, भई, अच्छी बात है, बना देते हैं। पहले कांग्रेस की बनाई; एक बार नहीं बनाई, दो—दो बार बनाई। अब मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ। पूर्ण राज्य नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? उनको ये लगा, ''देखो, यहाँ भी हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, केन्द्र में

भी हमारी है। अपना काम कर लो।'' बीजेपी को जिता दिया, बीजेपी वाले कहते हैं, ''हमें केन्द्र में सरकार बनवा दो, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे।'' जनता को समझ नहीं आया तब, पूर्ण राज्य बनने से होगा क्या? कहते हैं, ''आपकी समस्याएं दूर हो जायेंगी।'' कहते हैं, ''अच्छा जी! ठीक है, आपको सातों सीटें दे दीं।'' अब वो सातों सीटें दे दीं, तो उसके बाद करा क्या इन्होंने? एक बारी भी लोकसभा में बात करी? एक बारी भी कहा कि इसको पूर्ण राज्य बनाएं? कभी भी कोशिश करी कि पूर्ण राज्य की तरफ बढ़े? नहीं जी, कहते हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो गाड़ी, बंगला मिल गया, अब हमारे को जरूरत नहीं है। हम तो बन गए हैं एमपी। दिल्ली जिस तरह से चल रही है, वो कहते हैं, ''जमीन केन्द्र सरकार के पास है, पुलिस केन्द्र सरकार के पास है।'' और अब तो सर्विसेज भी कहते हैं, केन्द्र सरकार के पास चली गयी, एलजी साहब के पास चली गयी। आप मुझे एक ऐसा काम बताइए जिसमें जन और जमीन मतलब आदमी और जमीन की जरूरत न पड़े? मनीष जी स्कूल बनाते हैं, कहते हैं, ''जमीन नहीं देंगे'' जमीन एलजी साहब देंगे। टीचर भर्ती करने हैं; ये तो सर्विसेज का मैटर हो गया। अब बताइए जी, जो शिक्षामंत्री है, वो क्या करेगा ये बता दो? वो रिपोर्ट ही माँगते रहेंगे। दिल्ली के अंदर 10 अस्पताल बनाने हैं। मुख्य मंत्री जी ने खुद लैटर लिखा था, तीन साल से जमीन माँग रहे हैं। तीन साल से जमीन डीडीए की वेबसाइट पे लिखा हुआ है – 'अस्पताल के लिए जमीन है।' उसके लिए कई रिमाइंडर दे चुके हैं, आज तक वो जमीन नहीं दी उन्होंने। क्यों नहीं दी भई? वो जमीन है किसकी ये बता दीजिएगा। दिल्ली की टेरिटरी के अंदर आती है और उसका मालिक कौन बन के बैठा हुआ है? डीडीए। डीडीए के थ्रू केन्द्र सरकार। कहते हैं, ''हम जमीन देंगे नहीं, हम ऑक्शन में प्राइवेट अस्पतालों को बेचेंगे।'' हर चीज

के अंदर कहते हैं, ''सर्विसेज का मैटर है।'' स्वास्थ्य के अंदर... ये मैं लिस्ट ले के आया हूँ। जब से स्वास्थ्य मंत्रालय मुझे मिला है, मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने के बाद मेरे आठ बार सेक्रेटरी बदले जा चुके हैं और मुझे पता कब लगता है जब वो सेक्रेटरी मुझसे मिलने कभी आते हैं, दो–तीन दिन बाद कि ''जी, मैं आपका नया सेक्रेटरी बन गया हूँ।'' अब ये पूछिए तो सही कि अगर तीन साल में आठ–आठ सेक्रेटरी बदले जाएंगे, उसका कारण क्या है? कारण यही है; वो कहते हैं, ''सर्विसेज हमारे पास है।'' अगर आपका काम पटरी पे आने लगे तो फिर पटरी से रेल को नीचे उतार दो, क्या? 4–6 महीने लगेगा, फिर से लाइन पटरी पे आयेगी। अब मोहल्ला क्लिनिक बनवाने हैं, उनको रूकवा दिया। पहले तो डेढ़ साल एलजी साहब लेके बैठ गए, फिर नये सेक्रेटरी साहब आ गये, अब उनको समझा के, बुझा के काम स्टार्ट हुआ तो कहते हैं, ''चलो, इसको भगाओ, अब नया ले आओ।'' वो ये कहते हैं, ''राज्य के अंदर सारी ताकत उनकी।'' वो कहते हैं, ''मीठा–मीठा, गप्प गप्प, और कड़वा–कड़वा, थू–थू।'' ये सारा गप्प गप्प। एलजी साहब बैठे हैं, केन्द्र सरकार बैठी है कि सब कुछ बढ़िया हमारे लिए, जो भी खराब होवे, ये केजरीवाल जी ने। अरे भई! हद हो गयी। जनता ने जिसको चुना, उसको काम करने दो, जनता की विल जो है, उसको काम करने दीजिए। जनता की जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होने दीजिएगा। जनता ...इलेक्शन जो लड़ा जाता है, इलेक्शन में वादे किए जाते हैं, उनको पूरा करने की बात होती है। वहाँ पे कहीं नहीं लिखा जाता कि जो वादे हैं, उनको पहले हमें किसी एडमिनिस्ट्रेटर से, किसी एलजी से, किसी लाट साहब से पास कराने पड़ेंगे। वो अपने आपको लाट साहब ही समझते हैं। अब एक छोटी– सी चीज मैं बताना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर रोजगार की समस्या है, पूरे देश में है परन्तु दिल्ली तो सॉल्व कर सकती है अपनी। आज 20

हजार स्कूलों में टीचरों की भर्ती निकली हुई है। 20 हजार बच्चों की भर्ती है। आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइएगा, जहाँ भी भर्ती होती है, किसी भी राज्य में भर्ती होती है तो जिसने वहाँ से 12वीं पास करी है, जिसने वहाँ से ग्रेजुएशन की है, जिसने वहाँ से ट्रेनिंग की है, उन लोगों को 85 परसेंट वहाँ पर वो मिलता है कि भई 85 परसेंट वहाँ के हों, बाकी 15 परसेंट बाहर के होंगे। दिल्ली के अंदर क्या किया है इन्होंने? अगर दिल्ली में जो मैं ये नहीं कहता, दिल्ली के जितने लोग हैं, दिल्ली के ही पैदा हुए हैं। ज्यादातर दिल्ली के अंदर लोग बाहर से आए परंतु उसने गलती कर दी कि वहाँ से छोड़ के दिल्ली आ गया वो। अब दिल्ली आने के बाद यहाँ पे पढ़ने–लिखने के बच्चे भी हैं, पढ़ने के लिए। 12वीं यहाँ से पास कर ली, जेबीटी यहाँ से कर ली, ग्रेजुएशन यहाँ से कर ली फिर जा के डीएसएसबी में फार्म भर दिया, डीएसएसबी में फार्म भरा तो पूरे देश के लोगों को बराबर है। अगर वो यूपी में जाके फार्म वापस भरता है, कहता है, ''आप यूपी वाले नहीं रहे क्योंकि आपने बच्चे को दिल्ली पढ़ाया है।'' अब वो न तो यूपी का रहा, न दिल्ली का रहा। कोई बेचारा बिहार से आया है, न बिहार का रहा, न दिल्ली का रहा। कोई पंजाब से आया था; न पंजाब का रहा न दिल्ली का रहा। जो हरियाणा से आया, वो न हरियाणा का रहा, न दिल्ली का रहा। न तो इधर के रहे, न उधर के रहे। अब दिल्ली के अंदर नौकरियाँ निकलती हैं हम ये नहीं कह रहे कि जो दिल्ली के अंदर सौ साल से रहते हैं, उनके लिए रिजर्व हैं। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो दिल्ली में 12वीं पास कर रहा है, जो दिल्ली में 10वीं पास कर रहा है, जो दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा है; कम से कम उनको तो नौकरी मिल जाए। इसी तरह से आप देख लीजिएगा; अभी 12वीं क्लास के रिजल्ट आए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 92 परसेंट आया,

बहुत सारे बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 90 परसेंट से ऊपर नंबर लेके आए हैं। 90 परसेंट से ऊपर नंबर ले के आने के बावजूद वो खुशी नहीं हुई जो होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? कि दिल्ली एक अनोखा राज्य है जिसके अंदर बच्चों के कितने भी नंबर आ जाएं, 90 परसेंट आ जाएं चाहे 95 परसेंट आ जाएं, एडमिशन की गारंटी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सबसे बढ़िया कॉलेज कहते हैं – श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उस कॉलेज के अंदर 90 प्रतिशत बच्चे दिल्ली से बाहर के आते हैं, दिल्ली के दस परसेंट बच्चे भी नहीं हैं। अब वो कहते हैं, ''केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है जी।'' ''अरे भाई साहब! हमें भी पता है कि वो केन्द्रीय है।'' तो दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी खोल लें, तो कहते हैं, ''वो खोलने नहीं देंगे, क्योंकि आप राज्य नहीं हैं।'' ये तो कमाल हो गया! भई डीयू के अंदर पूरे देश के बच्चों का एडमिशन होगा और दूसरी युनिवर्सिटी हम खोलना चाहें तो उसको खोलने नहीं देंगे क्योंकि आप केन्द्र शासित प्रदेश हैं। केन्द्र सरकार चाहेगी तो खुलेगी, नहीं तो, नहीं खुलेगी, खोल नहीं सकते। न तो हमारे बच्चों को पढ़ाई का साधन मिलेगा, न ही हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। ऐसा क्या हुआ था? अरे भाई! जहाँ पे पैदा हुए थे, वहीं रह लेते फिर तो... या दिल्ली में आ जाते, अपना डोमिसाइल वहीं का रख लेते तो ज्यादा फायदा था कि दिल्ली में आ गए, दिल्ली में रहने लगे तो दिल्ली के अंदर आने का मतलब हमारी कोई गलती कर दी, दिल्ली के लोगों ने एक ऐसी गलती कर बैठे। आज दिल्ली के अंदर ये कहते हैं; बिल्डिंग बायॅलॉज जो मैंने स्टार्ट किया था, सेम बिल्डिंग बॉयलॉज कोठियों में चलता है। डिफेंस कालोनी के अंदर भी वही बिल्डिंग बॉयलॉज हैं जो कराला के गाँव के अंदर बिल्डिंग बॉयलॉज लगते हैं। बुराड़ी की अनऑथोराइज कालोनी के अंदर भी वही बिल्डिंग बॉयलॉज लगते हैं जो कि जंगपुरा के अंदर लगते हैं। ये तो अजीब सी

बात है। पूरे संसार में ऐसा कहीं नहीं होता। ये दिल्ली एक अनोखी जगह है कि दिल्ली के अंदर एक बाबू ने बैठ के अपने ड्राइंग रूम के अंदर, एयर कंडीशंड ऑफिस के अंदर कोई भी फैसला कर दिया वो लॉ बन गया। कहते हैं, ''हम सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं।'' कहते हैं, ''एलजी साहब कहेंगे, हम नहीं लगवाने देंगे।'' ''क्यों नहीं लगवाने दोगे?'' कहते हैं, ''हम स्टडी कर रहे हैं; उससे लोगों की सिक्योरिटी के साथ–साथ लोगों की पर्सनल जो इंफार्मेशन है, उसमें दिक्कत आएगी। आज तक तो आ नहीं रही थी, आज ऐसी क्या दिक्कत आ जाएगी भई? इस दिल्ली के अंदर एलजी साहब कहते हैं कि कई लाख कैमरे पहले से लगे हुए हैं तब दिक्कत नहीं आई। दिल्ली सरकार डेढ़ लाख कैमरे लगवा देगी तो दिक्कत आ जाएगी। किसी भी राज्य में ऐसा हो सकता है क्या? वो कहते हैं, ''नहीं हो सकता।'' कहते हैं, ''क्यों नहीं हो सकता?'' ''कि वो लगाएंगे नहीं, इसलिए होगा नहीं।'' कोई राज्य लगाता ही नहीं, इसलिए वहाँ पे ऐसी दिक्कत ही नहीं आती। दिल्ली सरकार लगाना चाहती है तो यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रही है। अरे भाई! दूसरा राज्य अगर लगाना चाहेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम अगर कर रहे हैं... तो दिल्ली की जनता करना चाहती है तो करे, उसमें रोक टोक किस लिए? अगर हम गलत काम करते हैं... कोई भी सरकार गलत काम करेगी तो दिल्ली की जनता उसको पाँच साल बाद बदल देगी न? परंतु एलजी को बदलने का तो पॉवर जनता के पास है नहीं। उसको बदलने की पॉवर तो किसी एक पॉलिटिशियन के पास है।

अध्यक्ष महोदय, एक हजार मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने लगभग ढ़ाई साल पहले कहा था कि हम एक साल में बना देंगे और हमने सौ मोहल्ला क्लिनिक बहुत जल्दी तीन या चार महीने के अंदर

चालू भी कर दिए थे, वो पॉयलट प्रोजेक्ट था कि भई, हम सीखना चाहते थे कि भई, ये मोहल्ला क्लिनिक चलेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? जैसे ही वो सौ मौहल्ला क्लीनिक स्टार्ट हुए, उसके बाद फाइल के ऊपर डेढ़ साल तक एलजी साहब बैठे रहे। जनकल्याण की ऐसी योजनाओं को भी हमें मेहनत करनी चाहिए थी; फील्ड में मोहल्ला क्लीनिक बनवाने के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं एलजी से पास कराने के लिए। ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। अगर अस्पतालों के लिए हमने कहा था – दस हजार बेड को बढाकर हम 25 हजार बेड करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने डिप्टी सी एम साहब ने अपने बजट में हर साल कहा; उसकी फाइल को पास होने में, बिल्डिंग बनने में ढ़ाई तीन साल लगते हैं। फाइलें ढ़ाई तीन साल से पास नहीं हुई हैं। अफसर क्या–क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं; सुनकर आपको ताज्जुब हो जायेगा, आंखें खुल जायेंगी। वो कहते हैं कि पहले एक बेड बनता था सवा सौ स्केयर मीटर में। सवा सौ स्केयर मीटर मतलब 1200 तेरह सौ फुट में जिसमें थ्री बेड रूम फ्लैट बनता है, अब जो नये डिजाइन किए गये हैं, एयरकंडीशनड हैं, बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, ''ये 50 स्क्वेयर मीटर में क्यों किया आपने?'' लिखित में ऑब्जेक्शन है और उनको जवाब देते रहेंगे, उल्टा चल रहा है!

अभी आपने कल के अखबार में पढा होगा कि केन्द्र सरकार एक बहुत बड़ी योजना निकाल के ला रही है कि वो अपने यहाँ पर लैटरल एंट्री दे रही है। लैटरल एंट्री का मतलब कि सीनियर आफिसर्स को जो प्रोफेशनलस हैं, उनको अपने यहाँ पर सैक्रेटरीज बना के ले के आ रही है। अखबारों में बड़ी तारीफ सुन रहे हैं। उसकी बहुत तारीफ है। दिल्ली सरकार ने सेम काम डेढ साल पहले किया था; एक डाक्टर को हेल्थ सैक्रेटरी बनाया था, डाक्टर तरूण सिंह को और एक इंजीनियर को पीडब्ल्युडी सैक्रेटरी बनाया

था। उसका नाम था सर्वज्ञ श्रीवास्तव। ये दोनों काम हमने करके दिखाऐ थे। उसका सिला क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर दोनों उन आफिसर्स का जो अपराइट आफिसर्स हैं, दोनों के खिलाफ सीबीआई ने रेड मारी है। आज वही मीडिया वाले उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि वो लैटरल एंट्री कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तो करके दिखाया था और सबसे बड़ी सारे एमएलए बता देंगे; सबसे बढ़िया पीरियड था, उस टाईम पर।

मैं आपसे एक छोटी सी लास्ट में एक चीज और बताना चाहूँगा– डीडीए जो है, जमीन डीडीए के पास है। दिल्ली के अंदर रिसोर्सेज जनता के हैं; 25 हजार करोड़ की तो डीडीए के पास एफडी है और एक लाख करोड़ रुपये की लैंड बैंक है, लैंड है उसके पास एक लाख करोड़ की, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, वो सवा लाख करोड़ रुपया वो जनता के लिए है, दिल्ली की जनता के बेनिफिट के लिए है। अगर वो पैसा दिल्ली के ऊपर खर्च कर दिया जाये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था; सिंगापुर की बात कर रहा था। सिंगापुर की आबादी दिल्ली से वन थर्ड है। दिल्ली से वन थर्ड आबादी है और सिंगापुर पूरा देश है और कितना फेमस है; वो सवा लाख करोड़ रुपये अगर दिल्ली की जनता के डेवलेपमैंट के लिए खर्च कर दिया जाये तो मुझे लगता है कि दिल्ली की डेवलेपमैंट में बहुत तेजी आ सकती है। इसी तरीके से जो टैक्स शेयर है दिल्ली का, वो टैक्स शेयर भी केन्द्र सरकार बाकी राज्यों को पूरा पैसा देती है अगर कोई आदमी यूपी में रहता है, बिहार में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है और वो एक लाख रुपये इनकम टैक्स देता है सरकार को, तो बदले में उस राज्य को पाँच लाख रुपये वापिस मिलते हैं। यूपी से लगभग तीस हजार करोड़ का इनकम टैक्स इकटठा होता है तीस से पैंतीस हजार करोड़ का और यूपी को केन्द्र सरकार देती है, पौने दो लाख करोड़ रुपये वापिस दे देती है।

दिल्ली से एक लाख तीस हजार करोड़ का इनकम टैक्स इकटठा होता है वही आदमी वहाँ से यूपी छोड़कर दिल्ली आ जाये, दिल्ली में आने के बाद एक लाख रुपया इनकम टैक्स में जमा करा दे अगर वो यूपी में था, तो यूपी में यूपी सरकार को पाँच लाख वापिस मिल रहे थे, दिल्ली में आया एक लाख उसने जमा कराया तो दिल्ली सरकार को जीरो एक पैसा नहीं मिलता उसको वापिस। ये थोड़ी ज्यादती है कि दिल्ली को न इधर का, न उधर का। बाकी राज्य जितना पैसा देते हैं, उसका दुगना, तिगना, पाँच गुणा तक वापिस मिलता है। दिल्ली वाले एक लाख तीस हजार करोड़ रुपया जमा कराते हैं जिसमें से एक भी पैसा दिल्ली वालों को वापिस नहीं मिलता। तो मुझे लगता है, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना चाहिए और दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, तभी दिल्ली का ठीक से डेवलेपमैंट हो पायेगा अदरवाईज दिल्ली को ये इसी तरह से चलाते रहेंगे। दिल्ली की डेवलेपमैंट के लिए दिल्ली का पूर्ण राज्य बनाया जाना जरूरी है, धन्यवाद, जयहिंद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

माननीय मुख्य मंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली एक बहुत पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है और दिल्ली की राजनीति में शुरू से... पुराने समय से दिल्ली का दुर्भाग्य ये रहा कि इस पर हमेशा राजाओं का राज रहा। आज तक कभी यहाँ पर जनता का शासन लागू नहीं हो पाया; 1556 से 1605 ईस्वी तक महाराज अकबर का राज था, 1658 से 1707 ईस्वी तक महाराज औरंगजेब का राज था, 1707 से 1712 ईस्वी तक महाराज बहादुरशाह का राज था, 1837 से 1862 तक महाराज बहादुरशाह जफर का राज था, 1862 से 1947 तक अंग्रजों के वाइसराय का राज था, 2013 से 2016 तक महाराज नजीबजंग का राज था और 2017 से अभी मौजूदा महाराज अनिल बैजल का राज चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 1947 में पूरे देश को आजादी मिल गई है। आजादी के लिए कई लोगों ने कुर्बानी दी। इसलिए कुर्बानी दी कि अंग्रेजों को इस देश से भगाना है और देश में जनतंत्र लागू करना है जनतंत्र का मतलब होता है बॉय द पीपल, ऑफ द पीपल, फोर द पीपल कि जनता का शासन होगा, जनता राज करेगी, जनता वोट देगी वोट दे के जनता अपनी सरकार चुनेगी और जो सरकार जनता चुनेगी, वो सरकार जनता के हिसाब से काम करेगी। दिन–ब–दिन वो सरकार सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होगी। जनता उसके घर जा सकती है, उनको पकड़ सकती है, उनसे प्रश्न पूछ सकती है और जो जनता कहेगी, वो सरकार उसके हिसाब से काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय, बाकी पूरे देश के अंदर जनता का राज स्थापित हो गया। दिल्ली में अभी राजे महाराजाओं का राज चल रहा है; एलजी का राज चल रहा है। बाकी पूरे देश से वाइसराय हटा दिया गया और जनता का राज स्थापित कर दिया गया; दुर्भाग्य दिल्ली का कि दिल्ली के अंदर वाइसराय हटा के एलजी का राज कायम कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ''दिल्ली वालों का क्या कसूर है, दिल्ली वालों के क्या कमी है? क्या हमारे दादा परदादाओं ने इस देश की आजादी के लिए कम कुर्बानी दी थी? पूरे देश को आजादी मिल गई, हमें आजादी क्यों नहीं मिली? दिल्ली के लोगों को आज तक आजादी क्यों नहीं मिली?''

और अध्यक्ष महोदय, 1992 में दिल्ली के लोगों के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक किया गया; 1992 में इन्होंने वही किया दिल्ली वालों के साथ जो अंग्रेजों ने 1935 में इस देश के साथ किया था। जब पूरे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ा तो 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमैंट आफ इंडिया एक्ट पास किया और बोले, भई, तुमको दे दिया, आजादी दे दी, तुमको जनतंत्र दे दिया। 1935 के एक्ट में लिखा था कि

अब भारत के अंदर चुनाव होंगे, जनता अपनी सरकार चुनेगी लेकिन उस कानून में ये भी लिखा था कि सरकार तो चुनेगी जनता पर चलेगी वाईसराय की। 1992 में भी इन्होंने यही करा; 1992 में इन्होंनें कहा, ''भई, दिल्ली में अब जनतंत्र आ गया, दिल्ली में जनता चुनाव होंगे। जनता अपनी सरकार चुनेगी पर जनता सरकार तो चुनेगी, चलेगी एलजी की। तो जो भद्दा मजाक अंग्रेजों ने 1935 में पूरे देश के साथ किया था, भारत के साथ किया था, वही भद्दा मजाक 1992 में हम लोगों के साथ किया गया, दिल्ली के लोगों के साथ किया गया। आज दिल्ली के लोगों का सेकण्ड कलास सिटीजन का दर्जा है, हाफ सिटिजन हैं। दिल्ली का नागरिक आधा सिटीजन है। दिल्ली का नागरिक सैंट्रल गवर्नमैंट तो चूज कर सकता है लेकिन अपनी दिल्ली सरकार चूज नहीं कर सकता। आज पूरे देश के अंदर लोगों को वोट डालने का अधिकार है कि वोट डाल के अपनी सरकार चुने लेकिन दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत जीरो है। उसके कोई वोट की कीमत नहीं है। ये दिल्ली का सरासर अपमान है, दिल्ली के लोगों का अपमान है, उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। हम पूछना चाहते हैं कि हम आधे नागरिक क्यों हैं? दिल्ली के लोग मेहनतकश हैं, दिल्ली के लोग देशभक्त हैं। आज भी अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली के लोग इस देश के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों ने हर क्षेत्र के अंदर देश का नाम रोशन किया है फिर दिल्ली के लोगों को सेकण्ड क्लास सिटीजन का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? रोज सरेआम दिल्ली के लोगों की बाजार में पगड़ी उछाली जाती है। दिल्ली के लोग कहते हैं, ''हमें सीसीटीवी कैमरे चाहिए।'' भाजपा के एलजी कहते हैं, ''सीसीटीवी नहीं लगने दूँगा।'' दिल्ली के लोग कहते हैं, ''हमें मोहल्ला क्लिनिक चाहिए।'' महाराज अनिल बैजल कहते हैं, ''मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दूँगा।'' दिल्ली के लोग कहते हैं, ''हमें दवाइयाँ चाहिए। प्राइवेट

हॉस्पीटल पर नकेल कसो।'' भारतीय जनता पार्टी के वायसराय कहते हैं, ''दवाईयाँ नहीं दी जाएंगी, प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल नहीं कसने दी जाएगी।'' दिल्ली के लोग कहते हैं, ''हमें स्कूल चाहिए।'' भाजपा के एलजी कहते हैं, ''स्कूल नहीं बनने देंगे।'' दिल्ली के लोग कहते हैं, ''हमें सड़क चाहिए।'' भाजपा के एलजी कहते हैं, ''हम सड़क नहीं बनने देंगे।'' दिल्ली के लोग कहते हैं, ''हमें पानी चाहिए, राशन चाहिए, जन लोकपाल चाहिए।'' भारतीय जनता पार्टी के वायसराय कहते है कि हम आपको कुछ नहीं लेने देंगे। अगर कल मेरी बेटी के साथ कुछ हो जाए, किसी की बेटी के साथ कुछ गलत काम हो जाए, वो कहाँ जाएगा? किसके पास जाए वो? प्रधानमंत्री जी मिलते हैं? राजनाथ सिंह जी मिलते हैं किसी से? एलजी साहब मिलते हैं किसी से? बताओ, हम किसके पास जाएँ? किससे जाकर हम गुहार करें? कौन एफआईआर लिखेगा हमारी? दिल्ली के लोग कहते हैं, ''स्ट्रीट लाइट्स लगवा दो, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।'' महाराज अनिल बैजल कहते हैं, ''मैं स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगने दूँगा।'' दिल्ली के लोग कहते हैं, ''हमारी कच्ची कॉलोनियाँ पक्की कर दो।'' महाराज अनिल बैजल कहते है, ''मैं कच्ची कॉलोनियाँ पक्की नहीं होने दूँगा।'' आज सबसे अहम प्रश्न दिल्ली के लोगों के सामने है; दिल्ली में किसकी चलेगी – एलजी की चलेगी या दिल्ली के लोगों की चलेगी? महाराज अनिल बैजल की चलेगी कि दिल्ली के लोगों की चलेगी? दिल्ली में किसका शासन होना चाहिए? भाजपा के एलजी का शासन होना चाहिए... भाजपा के वायसराय का शासन होना चाहिए कि दिल्ली की जनता का शासन होना चाहिए? अब समय आ गया है कि दिल्ली की जनता को अपनी आजादी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

तीन साल पहले दिल्ली के लोगों ने पूरे देश को एक नई किस्म की राजनीति दी। एक आम लोगों की पार्टी जिसको कोई नहीं जानता था, नई

पार्टी, ईमानदार लोगों की पार्टी, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को मजा चखाया, उनको धूल में नेस्तनाबूद कर दिया; कांग्रेस की जीरो सीट आई और बीजेपी की केवल तीन सीट आईं, दोनों को मिट्टी चटा दी।, दोनों पार्टियों को दिल्ली की जनता ने। और दिल्ली की जनता ने तय किया कि अब सीधे हम शासन करेंगे अब जनता शासन करेंगी, बहुत हो गई ये पार्टी बाजी। और दिल्ली की जनता ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अध्यक्ष महोदय, तीन साल में दिल्ली की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या कमाल करके दिखाया दिल्ली की जनता ने! आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। कोई मध्य प्रदेश से दिल्ली में आता है तो दिल्ली का आदमी चौड़ा सीना करके कहता है, ''तुम्हारे स्कूल कैसे?'' तो मध्य प्रदेश वाला कहता है, ''हमारे तो स्कूल बड़े खराब।'' वो कहता है, ''चल, मैं लेकर चलता हूँ, मेरे स्कूल में लेकर चलता हूँ।'' चौड़ा हो रहा है आज दिल्ली के लोगों का सीना, गर्व के साथ। लोग कहते हैं, ''उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं तो वो दिल्ली वाले उनसे पूछते हैं, ''क्या हुआ यार! तुम्हारे गोरखपुर में बहुत बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से? तुम्हारे तो अस्पताल बड़े खराब हैं।'' फिर कहते हैं, ''चल, मैं तेरे को हमारे अस्पताल में लेकर चलता हूँ, जी.बी.पंत में लेकर चलता हूँ, जी.टी.बी. में लेकर चलता हूँ मैं तेरे को। चल तेरे को मैं मोहल्ला क्लिनिक दिखाकर लाता हूँ।'' गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है दिल्ली की जनता का। गर्व से जनता का सीना 59 इंच हो गया, 56 इंच वालों को पीछे छोड़ दिया, 59 इंच चौड़ा हो रहा है दिल्ली की जनता का सीना। लेकिन ये आसान नहीं था अध्यक्ष महोदय, बहुत मुश्किल था। महाराज अनिल बैजल ने, भाजपा के वायसराय ने दिल्ली की जनता के पिछले तीन साल में दिल्ली की जनता के काम में रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देते थे, दवाइयाँ नहीं खरीदने देते थे, खिड़की फार्मासिस्ट

की नियुक्ति नहीं करने देते थे, स्कूल नहीं बनने देते थे। हर चीज के अंदर महाराज अनिल बैजल ने अड़चन अड़ाई, दिल्ली के भाजपा के वायसराय ने अड़चन अड़ाई लेकिन दिल्ली की जनता भी बोली, ठान ली दिल्ली की जनता ने, हर अड़चन का सामना किया और आज दिल्ली की जनता का सीना चौड़ा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जितना शोषण आज केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों का कर रही है, उतना शोषण तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अंग्रेजों से हमें क्या दिक्कत थी? क्या कहते थे अंग्रेज? हमारे देश की सम्पत्ति लूटकर, सारा धन लूटकर, टैक्स लगाकर हमारे ऊपर खूब टैक्स लगाते थे और सारा पैसा इंग्लैंड भेजा करते थे। हम चाहते हैं भई, हमारे देश का पैसा हमारे देश में इस्तेमाल होना चाहिए। आज वो ही हाल दिल्ली वालों का केंद्र सरकार ने कर रखा है। 1,30,000 करोड़ रुपये का हमारा खून–पसीने का पैसा केंद्र सरकार दिल्ली वालों से लेकर एक नया पैसा वापस नहीं करती; 325 करोड़ रुपये देती है, 325 करोड़ तो जीरो के बराबर है। 1,30,000 करोड़ रुपये हमसे लेते हैं हर साल... हर साल इनकम टैक्स और बदले में जीरो पैसा देते हैं, बदले में कुछ नहीं देते हमको। ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। मैं आपके पास सारे राज्यों का डेटा लेकर आया हूँ; छत्तीसगढ़ से 5400 करोड़ रूपए का टैक्स इकट्ठा होता है और उनको बदले में मिलता है 26,000 करोड़ रूपए। गुजरात से 47,000 करोड़ रुपये का टैक्स इकट्ठा होता है और बदले में उनको मिलते है 28,000 करोड़ रूपये। कर्नाटक से 1,04,000 करोड़ का इनकम टैक्स इकट्ठा होता है, बदले में मिलता है उनको 40,000 करोड़ रुपये। उड़ीसा में 10,000 करोड़ रुपये का टैक्स इकट्ठा होता है, बदले में उनको मिलते है 40,000 करोड़ रुपये। दिल्लीवालों से 1,30,000 करोड़ रुपये का टैक्स इकट्ठा होता है और बदले में मिलता है

जीरो पैसा, 325 करोड़ रुपए। ये हमारे खून–पसीने की कमाई है, दिल्ली में भी बहुत गरीब लोग रहते हैं, खून–पसीना काटकर सरकार को पैसा देते हैं। हम ये नहीं कह रहे... हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे, सारा का सारा पैसा हमको वापस करो। कम से कम 30 परसेंट पैसा तो दे दो हमको वापस। 1,30,000 करोड़ रुपये का 30 परसेंट भी आ गया तो 40,000 करोड़ रुपये बन गए, एक साल में अगर 40,000 करोड़ रुपये आने लग जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, पाँच साल में हर दिल्लीवाले के लिए 1–1 मकान बनाकर दे देंगे हम। 5 साल के अंदर 1–1 मकान बनाकर दे देंगे हर दिल्लीवाले को, हर दिल्लीवाले का सपना है कि एक घर होना चाहिए, हर एक आदमी का दिल्ली वाले का क्या, हर आदमी का एक सपना होता है, हर परिवार का सपना होता है कि मेरा घर होना चाहिए और दिल्ली सरकार कर सकती है ये। दिल्ली सरकार चाहती है कि हर दिल्ली वाले का एक घर हो लेकिन एलजी साहब कहते हैं, ''मैं नहीं बनने दूँगा, जमीन मेरी।'' अरे! जमीन किसी के पिताजी की है? दिल्ली की जमीन, दिल्ली के लोगों की है, एलजी साहब की नहीं है। दिल्ली की जमीन दिल्ली की जनता की है और दिल्ली की जनता के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। क्या करते है एलजी साहब? बिल्डरों को उठा–उठाकर देते हैं और बिल्डरों को क्यूँ देते है, जनता को क्यूँ नहीं देते... ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा चलता है उसके अंदर।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पूर्ण राज्य होगा तो हर दिल्लीवाले को 1–1 घर मिल सकता है, हर दिल्ली के बच्चे को नौकरी मिल सकती है। आज जैसा अभी सत्येंद्र जी ने बताया और कई सारे वक्ताओं ने बताया कि हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली के किसी आदमी से पूछ लो कि दिल्ली सरकार की नौकरियों में दिल्ली के लोगों

के लिए 85 प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भई, दिल्ली के अंदर अगर टीचरों की भर्ती होती है, 20,000 टीचरों की भर्ती होती है तो उसमें 17,000 बच्चे दिल्ली के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए अगर दिल्ली में डेढ़ लाख... डीएसएसएसबी अगर डेढ़ लाख बच्चों की भर्ती करती है अलग–अलग लेवल पर तो उसमें 85 प्रतिशत दिल्ली के बच्चों की रिजर्वेशन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, होनी चाहिए? हमारे बच्चों को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम केंद्र सरकार में बैठे हो, तुम सम्भालो बाकी देश को। हम अपने बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी? हम नौकरी देना चाहते हैं, हम दे सकते हैं, दिल्ली सरकार दे सकती है नौकरी। आज अगर पूर्ण राज्य होता तो हमारे बच्चों को नौकरी मिल सकती थी। आज मुझे बहुत दुःख होता है, अभी दिल्ली सरकार के स्कूलों, सरकारी स्कूलों के नतीजे आए, खूब शानदार नतीजे आए। मैं और शिक्षा मंत्री जी अलग–अलग सब्जेक्ट के जो टॉपर थे, उनके घर गए उनसे मिलने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। और मैं ये देख के आ चर्यचकित था, उनमें कई बच्चे खुश नहीं थे। मैं कहा, क्या हुआ बेटा? बोले, ''जी, एडमिशन नहीं होएगा।'' मैंने कहा, ''क्यों नहीं होएगा?'' बोला, ''जी, बस 97 परसेंट आये हैं।'' 97 परसेंट पे मातम छाया पड़ा है। बच्चे ने टॉप किया है, 97 परसेंट पे मातम छाया पड़ा है, एडमिशन नहीं होएगा! आज अगर आज हमको कॉलेज नहीं खोलने दे रहे हैं ये। इन्होंने कम से कम तीन या चार प्रपोजल केन्द्र सरकार को भेजे हुए हैं कि हम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं दिल्ली में। यूनिवर्सिटी नहीं खोलने देते, कॉलेज नहीं खोलने देते, अरे! न तुम कुछ करोगे और न दिल्ली वालों को कुछ करने दोगे। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता, मैं आपको बता रहा हूँ; 100 कॉलेज एक साथ शुरू कर देते, ढेरों यूनिवर्सिटी एक

साथ शुरू कर देते और हम वादे के साथ कह सकते हैं, पूर्ण राज्य बना के दिखा दो, पाँच साल के अंदर इतने कॉलेज खोल देंगे, 70 प्रतिशत वाले को भी कॉलेज में अच्छी एंट्री मिलेगी, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा।

आज इतनी अनऑथोराइज कॉलोनी हैं, सारी अनऑथोराइज कॉलोनियाँ. ... कह रहे हैं कि हमको पक्का करो, एल.जी. साहब कह रहे हैं, ''मैं पक्का नहीं होने दूँगा।'' तो अध्यक्ष महोदय दिल्ली के लोग मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, दिल्ली के लोगों में विजन है और ये दिल्ली के लोग मिल के दिल्ली को लंदन से अच्छा बना सकते हैं, वाशिंगटन से अच्छा बना सकते हैं, न्यूयार्क से अच्छा बना सकते हैं, टोकियो से अच्छा बना सकते, लेकिन एल.जी. साहब इनको करने नहीं दे रहे हैं। आज सबसे बड़ा रोड़ा दिल्ली के विकास में अगर कोई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का वायसराय है, भारतीय जनता पार्टी का एल.जी. है, महाराजा अनिल बैजल है।

अध्यक्ष महोदय, सौ साल पहले तिलक ने कहा था, ''स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा।'' आज समय आ गया है जब दिल्ली वालों को भी कहना पड़ेगा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। अब अपने को एल.जी. राज्य खत्म करना है दिल्ली में और स्वराज्य स्थापित करना है। एल.जी. राज्य का मतलब एल. जी. को एक इंडिविजुअल नहीं, एल.जी. राज्य का मतलब केन्द्र में बैठी हुई जो भी सरकार है, केन्द्र में बैठी हुई जो भी पार्टी है, उसका एजेंट अन–अकाउंटेबल, वो प्रधानमंत्री के प्रति अकाउंटेबल है, वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति अकाउंटेबल है, वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं, हमें जनता का शासन चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली वालों को लड़ना पड़ेगा अपने सम्मान के लिए, दिल्ली के हक के लिए, दिल्ली वालों की बराबरी के लिए अपने बच्चों के सपनें पूरे करने के लिए, अपने भविष्य के लिए, दिल्ली के

विकास के लिए। आजादी के वक्त हम लोगों ने नारा दिया था, ''अंग्रेजो भारत छोड़ो।'' अब हम सबको मिल के नारा देना पड़ेगा, ''एल.जी. साहब दिल्ली छोड़ो''। बीजेपी और कांग्रेस के मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था अभी पिछले कुछ दिनों से, दोनों मुकर गये। इतनी बेशर्मी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। दोनों पार्टियों ने लिखित में पिछले बीस–तीस साल से हर पाँच साल में मेनिफेस्टों में लिखते हैं, हर साल कहते हैं, ''हम आ गये तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे'', ''हम आ गये तो हम पूर्ण राज्य का...'' अब दोनों पार्टी... कह रहे हैं, ''नहीं, पूर्ण राज्य नहीं होना चाहिए।'' ये तो गद्दारी है बिल्कुल। मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता था कि आप आये थे; दिल्ली के अंदर चुनाव के दौरान जब लोक सभा चुनाव था, जब विधान सभा चुनाव था, आपने कहा था कि अगर हम जीत गये तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि क्या हुआ उस वादे का? क्या ये भी जुमला था? प्रधानमंत्री जी से जबाब चाहती है दिल्ली की जनता और आज मैं आपको कह रहा हूँ... भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि लोक सभा चुनाव के पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, दिल्ली का एक–एक वोट तुम्हारे पक्ष में पड़ेगा, हम तुम्हारा प्रचार करेंगे और अगर तुमने पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो ये देख लेना हर आदमी अपने वोट अपने उसपे वोट लगाएगा भाजपा वालो दिल्ली छोड़ो, बहुत बहुत शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने दिनांक 08 जून, 2018 को अपने सरकारी संकल्प की विषय–वस्तु में परिवर्तन करके संशोधित

संकल्प का नोटिस दिया था, इसे आपके माध्यम से सदस्यों को वितरित भी करवाया जा चुका है। अतः मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित संशोधित संकल्प को सदन द्वारा पारित कर दिया जाये, जो बंटवाया जा चुका हैः

"The Legislative Assembly of National Capital Territory in its sitting held on Friday,8th June 2018 resolves that:

Keeping in view the decades-old aspirations of the residents of National Capital Territory of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the country's economy, which have been strongly and unambiguously reflected in the views expressed by Hon'ble members of this August House, the Ministry of Home Affairs, Government of India, must take all necessary legal and legislative steps to declare NCT of Delhi a fullfledged state without any further delay.

This House notes with extreme disappointment that successive Central Governments have without any valid justification attempted to undermine the basic rights of the people of Delhi by denying them statehood.

People of Delhi can no longer be kept at the mercy of a Central Government appointed Lieutenant Governor, who has no accountability towards the public and enjoys absolute power without any responsibility.

Elected representatives are directly accountable to the voters and are rightly questioned by the people on issues affecting their daily

lives and developmental issues. It is, therefore, beyond any legal and reasonable understanding that how can a politically nominated LG be the super-boss of a democratically elected council of ministers which is collectively responsible to the Legislative Assembly?

Ever since 1952 and then later in 1993, when the Legislative Assembly was set-up in its present form for NCT of Delhi, every single elected Delhi Government has strongly demanded statehood in order to be able to fulfil the aspirations of the people.

In 2003, the then Hon'ble Deputy Prime Minister and Home Minister Mr LK Advani had on 18th August 2003 presented the Constitution Amendment Bill and the Bill for statehood of Delhi in the Lok Sabha.

The Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, headed by the then chairman Mr Pranab Mukherjee in its 106th report tabled in Parliament in December 2003 had strongly endorsed the bill.

Unfortunately, however, due to dissolution of the Lok Sabha a few months later, the bill lapsed.

Strangely, no attempt was made to revive the bill after that despite the same party having been in power at the Centre and in Delhi for 10 years since 2004.

This House is of the view that now since almost 16 years have passed since the previous Delhi statehood bill was presented in

Parliament and there were some shortcomings in that bill, therefore the MHA must consult the elected Government to be on the same page about the fresh draft bill.

This House resolves that the NDMC area in Delhi, which is governed by the NDMC Act be kept under the exclusive control of the Central Government, and the rest of NCT of Delhi be declared a full-fledged state through a Constitutional Amendment Bill.

Earlier in 1990 also a Constitution Amendment bill for statehood of Delhi was planned but unfortunately that attempt also could not materialise.

Therefore, the people of Delhi will not tolerate any further unjustified delay in granting them their rights, which have been denied for decades despite promises having been made by all political parties repeatedly in their election campaigns.

This House strongly demands that the MHA must place the feelings of the people of Delhi before both Houses of Parliament in the form of a Constitution Amendment Bill to grant full statehood for Delhi."

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, हो चुका या तो ये प्रस्ताव पहले आता। उन्होंने न नहीं बोला, इसका मतलब समर्थन किया है ना जी, चलिए।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करूँ, स्वस्थ्य संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री, श्री अरविन्द केजरीवाल जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री, श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ–साथ, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं उन अधिकारियों का... मैं यहाँ संशोधित कर रहा हूँ, जो लिख के दिया है, जिन्होंने उत्तर दिये हैं, आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन–55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं हॉर्टिकल्चर डिविजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किए गये सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वो राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान–जन गण मन)

माननीय अध्यक्षः अब विधान सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्यों का एक बार पुनः धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–02) सोमवार, 11 जून, 2018 / 21 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक–85

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–4
3.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	5–21
4.	सरकारी संकल्प (नियम–90) पर चर्चा जारी...	22–99

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।